शैक्षिक समाचार
राजस्थान
शैक्षिक समाचार राजस्थान

अध्याय–I

प्रस्तावना

1. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु निर्वाचक सूची का शुद्व एवं त्रुटीहीन होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। निर्वाचन संबंधी कतिपय अनियमिततायें यथा बोगस मतदान एवं छद्मवेशीकरण (Impersonation) इत्यादि काफी हद तक त्रुटिपूर्ण निर्वाचक सूची का ही परिणाम होते है। निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचकों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन संबंधी अनियमितताओं को कम करने हेतु निर्वाचन पंजीकरण प्रक्रिया तथा निर्वाचक सूची की गुणवत्ता में सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः निर्वायक सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

2. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान का मूल आधार निर्वाचक सूची की शुद्वता होती है, इस दिशा में प्रभावी प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

3. इस हैण्ड बुक के माध्यम से निर्वाचक सूची तैयार करने, उसका पुनरीक्षण करने तथा रख–रखाव सुनिश्चित करने के विषय में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसमें बीएलओ के दृष्टिकोण से सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है, परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि यह हस्तपुस्तिका लोक प्रतिनधित्व अधिनियम, 1950 क सुसंगत प्रावधानों एवं निर्वाचक सूची तैयार तथा पुनरीक्षित करने हेतु समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का विकल्प नहीं होगी।

बीएलओ कौन हैं

बीएलओ स्थानीय सरकारी/अर्ध–सरकारी कर्मी होते है, जो स्थानीय निर्वाचकों से परिचित होते हैं एवं सामान्यतया उसी मतदान क्षेत्र के निर्वाचक होते हैं तथा जो अपनी स्थानीय जानकारी का उपयोग कर निर्वाचक सूची के अद्यतीकरण में सहयोग करते हैं। वस्तुतः बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग के आधारभूत स्तर (Grass-root level) के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने आवंटित मतदान क्षेत्र में निर्वाचक सूची हेतु वास्तविक स्थानीय सूचनाएं एकत्रित करने तथा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। यद्यपि बीएलओ पूर्णकालिक निर्वाचन कर्मी नहीं होते हैं, परन्तु इनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति के कारण इनका दायित्व अत्यधिक होता है क्योंकि वे एक जनतांत्रिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होते है। बीएलओ के अधीन एक या दो मतदान केन्द्र क्षेत्र होते हैं एवं वे निर्वाचक सूची से संबधित मामलों में स्थानीय निवासियों के सलाहकार, मार्गदर्शक एवं मित्रस्वरूप होते है।

बीएलओ की नियुक्ति

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 बी (2) के अन्तर्गत बीएलओ की नियुक्ति सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के बीच से की जाती है। सामान्यतः एक बीएलओ पर किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग की निर्वचक सूची की जिम्मेवारी होती है। बीएलओ को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर नियुक्त किाया जाता हैं। बीएलओ की नियुक्ति निम्नलिखित सूची में वर्णित सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मियों की श्रेणी में से की जा सकती है :–

1. शिक्षक
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
3. पटवारी/अमीन/लेखपाल
4. पंचायत सचिव
5. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता
6. विद्युत विपत्र रीडर
7. पोस्टमैन
8. ए.एन.एम. (Auxiliary Nurse Midwife)
9. स्वास्थ्य कार्यकर्ता
10. मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता
11. संविदा शिक्षक
12. निगम कर संग्रहकर्ता
13. नगरीय क्षेत्र के लिपिक वर्ग (वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक आदि)

2. बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने पैतृक कार्यालय द्वारा सौंपे गये मूल पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे तथा सामान्य तौर पर अपने प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में रहेंगे, परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाना है।

3. सम्बंधित बूथ लेवल अधिकारी का यह दायित्व है िकवे अपना निर्वाचन संबंधी प्रभार सौंपे बिना किसी भी दशा में अवकाश पर प्रस्थान न करें। स्थानान्तरण की स्थिति में भी यह सुनिश्चित कर लेना हैं कि वे ससमय अपने प्रतिस्थानी को निर्वाचन संबंधी कागजात, अभिलेख एवं पंजियॉ हस्तगत करा दें। यदि उनके प्रतिस्थानी की नियुक्ति न हुई हो तो ऐसी दशा में बीएलओ द्वारा अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकरी या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सभी निर्वाचन संबंधी कागजात, अभिलेख एंव पंजियॉ हस्तगत करने के बाद ही अपने नवपदस्थापन के स्थान हेतु प्रस्थान करना है।

4. चूंकि बीएलओ निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण से सम्बद्ध होंगे, अतः इस हेतु उन्हें भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगं एवं वे भारत निर्वाचन आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। कर्तव्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32ह (अनुलग्नक–1.2) के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

बुथ लेवल अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व

बीएलओ को सौंपे गये भाग की निर्वाचक सूची का व्यापक अध्ययन उनके द्वारा किया जाना है। साथ ही ग्राम/टोलों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय व्यक्तियों, विशेष कर ग्राम के बुजुर्गो एवं स्थानीय स्तर पर चयनित जन–प्रतिनिधियों, से संपर्क भी उनके द्वारा किया जाना है तथा निर्वाचक सूची में अंकित मृत/स्थानांतरित/दोहरी प्रविष्टि वाले ऐसे

निर्वाचकों की पहचान की जानी है उन्हें सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हटाया जाना आवश्यक हो। बीएलओ के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः–

- दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करना।
- घर–घर जा कर दोहरीकरण, प्रवास, स्थानांतरण/विस्थापन की जांच करना।
- स्थानान्तरित/मृत/गैर मौजूद (non- existing) निर्वाचकों की पहचान करना।
- परिवर्धन एवं विलोपन संबंधी त्रुटियों की जांच करना।
- निर्वाचक सूची में निर्वाचकों के नामों की वर्तनी, दोहरे नामों की प्रविष्टि, भाग शीर्ष पृष्ठ, छायाचित्र इत्यादि संबंधी विवरणों की जांच करना।
- निर्वाचकों के छायाचित्र प्राप्त करना।
- निर्वाचको के मोबाईल फोन नम्बर प्राप्त करना (ऐच्छिक)।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करना ताकि ऐसे व्यक्तियों को नोटिस जारी की जा सके जिनके नाम विलोपित किये जाने हों।
- अभिहित स्थलों पर प्रारूप निर्वाचक सूची/निर्धारित नोटिसों का प्रदर्शन।
- ग्राम/वार्ड सभाओं में निर्वाचक सूची का पठन– ाहरी क्षेत्र में निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु निवासी कल्याण संघ (Residents' welfare Association-RWA) से सम्पर्क करना।
- ईपिक निर्माण के उपरांत सही एवं पात्र व्यक्ति को ईपिक वितरित किया जाना तथा किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति को न दिया जाना।
- ईपिक आच्छादन एवं पंजीकरण को अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुचाना।
- स्वीप (SVEEP) संबंधी कार्य यथा नुक्कड़–नााटक–मंचन, दीवार–लेखन इत्यादि।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस गतिविधियॉ –शपथ दिलाया जाना एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचकों का आह्वान करना।
- भाग क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले प्रभागों एवं उनमें पड़ने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमांकित किया जाना।
- बूथ लेवल अधिकारी (बीएलाओ) से समन्वय स्थापित करना।
- प्राप्त प्रपत्रों का विस्तृत ब्योरा रखना।
- पंजीकरण के अवसर पर मतदाताओं को सामान्य जानकारी प्रदान करना।?
- निर्वाचन के पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण ।
- अतिव्यापी (Overlapping) से बचने हेतु विशेषकर नई विकसित कॉलोनिों के परिप्रेक्ष्य में, सामान्य भौगोलिक सीमाओं के साथ नजरी नक्शा तैयार करना।

बीएलओ की किट

प्रत्येक बीएलओ को किट के रूप में एक बैग प्रदान किया जाना है जिस पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिक चिन्ह छपा होगा। इस बैग में निम्नलिखित सामग्री रखी जायेगीः–

1. बीएलओ की हस्तपुस्तिका की एक प्रति।
2. बीएलओ रजिस्टर।
3. बीएलओ का पहचान पत्र।
4. एक लिखने की तख्ती एवं समुचित मात्रा में कागज।
5. सादा रजिस्टर।
6. कलम, पेन्सिल, रबर तथा स्केल।
7. समुचित मात्रा में प्रपत्र 6,6–ए, 7,8 एवं 8ए ।

बीएलओ का मानदेय

- नियत राशि– जिन बीएलओ को मात्र एक भग क्षेत्र (मतदान केन्द्र) आंवटित हो, उन्हें रूपये 3000/– प्रति वर्ष की दर पर। जिन बीएलओ के पास एस के अधिक भाग क्षेत्र हों, उन्हें एक क्षेत्र हेतु रूपये 3000/– प्रति वर्ष के साथ शेष भाग क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त मानदेय के रूप में रूपये 750/– की राशि प्रति वर्ष प्रति भाग के रूप में दी जानी है।
- परिवर्तनशील राशि :–
  - ❖ फोटो निर्वाचक सूची में छायाचित्रों की प्रविष्ट हेतु बीएलओ को रूपये 4/– प्रति छायाचित्र की दर से भुगतान किया जाना है, यदि संबंधित भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची का फोटो प्रतिशत 90% से कम हो।
  - ❖ फोटो निर्वाचक सूची में छायाचित्रों की प्रविष्ट हेतु बीएलओ का रूपये 5/– प्रति छायाचित्र की दर से भुगतान किया जाना है, यदि संबंधित भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची का फोटो प्रतिशति 90ः या उससे अधिक हो।

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के लिए मानक पहचान पत्र (Standard Identity Card for BLOs) तथा मानक आवासीय नाम पट्ट (Standard Name Board for BLOs' Residence) का निमार्ण

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 461/IEC/2010 (ER)/166 दिनांक 21.09.2010 द्वारा निदेश दिया गया है कि बूथ लेवल अधिकारी के लिए मानक पहचान पत्र तथा उनके आवास के बाहर प्रदिर्शित करने के लिए मानक नाम पट्ट तैयार करा कर उन्हें जारी किये जायें। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के लिए मानक पहचान पत्र (standard Card for BLOs) तथा मानक आवासीय नाम पट्ट (Standard Name Board for BLOs Residence) की विशिष्टियां निम्न प्रकार है :–

i) पहचान पत्र एवं नाम पट्ट का रंग, डिजाईन तथा फॉन्ट आयोग द्वारा निर्धारित नमूना प्रतियों के हू–ब–हू सदृश होना चाहिए।

ii) राजस्थान राज्य में पहचान पत्र तथा नाम पट्ट पर उल्लिखित होने वाला प्रत्येक विवरण अंग्रेजी तथा हिन्दी – दोनों में, अर्थात् द्विभाषी –होना चाहिए।

iii) पहचान पत्र का आकार 2''* 4'' तथा नाम पट्ट का आकार 2'* 3' होना चाहिए।

iv) पहचान पत्र पर बीएलओ का रंगीन छायाचित्र स्कैन कर अंकित होना चाहिए।

v) सभी बीएलओ से अविलम्ब उनका रंगीन छायाचित्र प्राप्त किया जाये, ताकि पहचान पत्र पर छायाचित्र मुद्रित कर उन्हें पहचान पत्र जारी किये जा सकें। पहचान पत्र की एक सॉफ्ट प्रति कार्यालय अभिलेख (record) के रूप में भी संधारित कर ली जाये।

vi) बीएलओ से उनका आवासीय पता (पिन कोड के साथ) तथा उनका सम्पर्क दूरभाष नम्बर (एस0टी0डी0 कोड के साथ दूरभाष संख्या या मोबाईल संख्या) प्राप्त कर लिया जाये, ताकि उन्हें बीएलओ के नाम पट्ट पर अंकित किया जा सके।

vii) पहचान पत्र प्लास्टिक लेमिनेटेड होना चाहिए तथा नाम पट्ट मौसमरोधी धत्विक सामग्री (Weather-proof metallic material) का बना होना चाहिए।

viii) दोनों अभिलेखों के निर्माण में अच्छे किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।

ix) स्थानीय बीएलओ के आवास क बाहर नाम पट्ट प्रदर्शित करने तथा बीएलओ को पहचान पत्र करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

x) इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

xi) जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर अनुश्रवण दल गठित किये जाने चाहिये जो इस कार्य की प्रगति का लगातार अनुश्रवण कर जिला निर्वाचन अधिकारी का अवगत कराते रहे।

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के लिए मानक पहचान पत्र (**Standard Identity Card for BLOs**) तथा मानक आवासीय नाम पट्ट (**Standard Name Board for BLOs' Residence**) का नमूना निम्नवत् है :–

अध्याय–II

सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

भारत के संविधान के प्रावधान (अनुलग्नक 1.1)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अन्तर्गत तथा सभी राज्यों के विधान–मंडल के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रप्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक सामान्य निर्वाचक सूची होनी है एवं किसी भी व्यक्ति को धर्म, वर्ण, जाति या लिंग (religion,race, caste, or sex) के आधार पर ऐसी किसी भी सूची में सकम्मलित करने हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जाना है।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है एवं जो निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी का `18 वर्ष से कम आयु का नहीं है तथा जो संविधान या उपयुक्त विधान–मंडल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निरर्हित नहीं किया गया है, ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं उसके अन्तर्गत गठित नियम

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 (अनुलग्नक 1.1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (लो.प्र.अ.) 1950 विनियमित किया गया है। लोक प्रिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रकरण नियम (नि.र.नि.) 1960 का गठन किया गया है।

   4.1 लोक प्रिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A से 13CC में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकारण अधिकारी (ERO)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) इत्यादि की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिये गये है। (अनुलग्नक 1.2)

   4.2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13D से 25A में निर्वाचक सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण तथा रजिस्ट्रीकरण की शर्तें निहित है। (अनुलग्नक 1.2)

   4.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A/ द्वारा प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु विशेष प्रावधान किये गये है। (अनुलग्नक 1.3)

4.4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 में निर्वाचक सूची की तैयारी इत्यादि के संबंध में किये जाने वाले सरकारी कर्त्तव्य में चूक हेतु दण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया है। (अनुलग्नक 1.2)

4.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 4 से 22 में निर्वाचक की तैयारी/पुनरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों एवं दशाओं के संबंध में प्रावधान किये गये है। (अनुलग्नक 1.4)

4.6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 8A द्वारा अप्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। (अनुलग्न 1.5)

5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अर्न्तगत समय–समय पर अनेक निर्देश जारी किये गये है। साथ ही, आयोग द्वारा कार्यकारी दिशा–निर्देश एवं स्पष्टीकरण भी जारी किये गये है। (अनुलग्नक 1.6 से 1.13)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 11A में दोषसिद्वि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता (**disqualification**) वर्णित है। (अनुलग्नक 2)

अध्याय–III

निर्वाचन व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र

निम्न सारणी में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के प्रशासनिक तंत्र का वरिष्ठता सोपान (hierarchial pyramid) प्रदर्शित किया गया हैं :–

प्रशासनिक तंत्र	वैधानिक प्रावधान
भारत निर्वाचन आयोग **(ECI)**	भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर अवस्थित है। संविधान के अनुच्छेद–324 द्वारा, अन्य के साथ, यह भी निर्धारित किया गया है कि संसद तथा सभी राज्यों के विधान–मंडल के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्वाचनों हेतु सूची की तैयारी का अधिीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण भरत निर्वाचन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी **(CEO)**	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13Aके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शाषित प्रदेश में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। वे राज्य सरकार के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के पदाधिकारी होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी **(DEO)**	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13AA में प्रत्येक जिला के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार के पदाधिकारी होंगे। साधारणतया जिला कलक्टर/जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त को उनके जिलो के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने जिला अथवा क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्र हेतु सभी संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण से संबंधित सभ कार्यों का समन्वय व पर्यवेक्षण किया जाना है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **(ERO)**	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B क अनुसार राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने व पुनरीक्षित करने का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाना है जो साधारणतया उपखण्ड मजिस्ट्रेट या समकक्ष स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी होंगे।

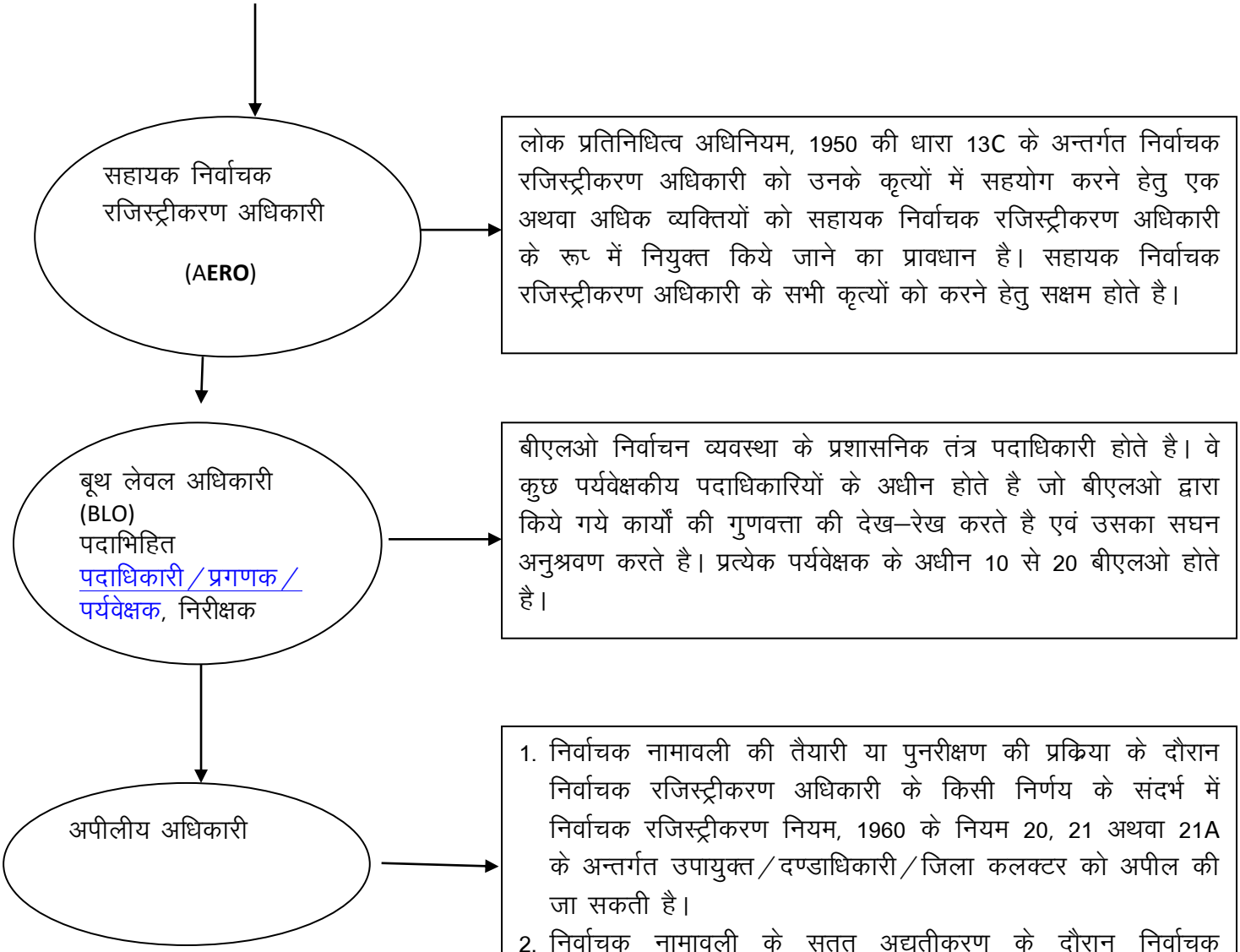
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(AERO)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13C के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उनके कृत्यों में सहयोग करने हेतु एक अथवा अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सभी कृत्यों को करने हेतु सक्षम होते है।
बूथ लेवल अधिकारी (BLO)
पदाभिहित पदाधिकारी/प्रगणक/पर्यवेक्षक, निरीक्षक
बीएलओ निर्वाचन व्यवस्था के प्रशासनिक तंत्र पदाधिकारी होते है। वे कुछ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के अधीन होते है जो बीएलओ द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता की देख–रेख करते है एवं उसका सघन अनुश्रवण करते है। प्रत्येक पर्यवेक्षक के अधीन 10 से 20 बीएलओ होते है।
अपीलीय अधिकारी
1. निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी निर्णय के संदर्भ में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 20, 21 अथवा 21A के अन्तर्गत उपायुक्त/दण्डाधिकारी/जिला कलक्टर को अपील की जा सकती है।
2. निर्वाचक नामावली के सतत् अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी भी आदेश के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 22 अथवा 23 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/कार्यपालक तथा अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अग्रतर अपील की जा सकती है।

- **<u>पदाभिहित पदाधिकारी</u>**

उपर्युक्त वैधानिक (statutory) नियुक्तियों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के नियम 14 के अन्तर्गत आवश्यक संख्या में पदाभिहित अधिकारियों का भी नियोजन किया जाता है। ये सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण,निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन होते है। पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निर्वाचक नामावली के भागों का प्रदर्शन तथा दावों एवं आपतियों की प्राप्ति का कार्य किया जाता है। उनके द्वारा निर्वाचकों की मांग पर उनके बीव प्रपत्र 6,7,8 एवं 8A का वितरण भी किया जाता है।

- **<u>निर्वाचक सूची प्रेक्षक</u>**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को निर्वाचक सूची पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। इन पर्यवेक्षक द्वारा याद्च्छ (**random**) तौर पर निर्वाचक नामावलियों की जॉच की जा सकेगी तथा सीधे आयोग को प्रतिवेदित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त सभी पदाधिकारी ऊपर उल्लिखित अधिकारिताओं के अन्तर्गत कार्य करते समय, संबंधित अवधि हेतु, भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे एवं उस अवधि के दौरान वे भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधिक्षण एवं अनुशासन के अधीन होंगे। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC–अनुलग्नक 1.2)

अध्याय IV

निर्वाचक पंजीकरण के सामान्य सिद्धान्त

निर्वाचक के रूप में किसे पंजीकृत किया जा सकता है

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार, कतिपय प्रतिबंधों के अधीन, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने का हकदार होगा जोः–

   क) अहर्त्ता तिथि (qualifying date) को 18 वर्षों से कम आयु का नहीं है, और

   ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासी है।

निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु निरर्हत्ता

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकृत होने से निरर्हित किया जा सकेगा यदि वह :–

   क) भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

   ख) विकृतचित है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा यथा घोषित है; अथवा

   ग) सम्प्रति, भ्रष्ट आचरणों एवं निर्वाचनों से संबद्ध अन्य अपराधों से संबंधित किसी नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मतदान देने हेतु अयोग्य ठहराया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **11A – अनुलग्नक 2**)

2. ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार निरर्हित घोषित किया गया हो, का नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जायेगा जिसमें वह शामिल है।

3. कोई भी व्यक्ति एस से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा और न ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का हकदार होगाख जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्रावधानित है।

सामान्य निवासी/मामूली तौर से निवासी' से तात्पर्य (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20)

कोई व्यक्ति किसी स्थान का सामान्य निवासी/मामूली तौर से निवासी कहा जायेगा, यदि वह उस स्थान का प्रयोग साधारणतः सोने के लिये करता है, भले ही वह उस स्थान पर भेजन न कर बाहर कहीं करता हो। अपने सामान्य निवास के स्थान से अस्थायी

अवधियों हेतु व्यक्ति की अनुपस्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसके निवास का समय किसी निश्चित समयावधि तक लगातार तथा अनवरत हो। कर्तव्य अथवा बेरोजगारी अथवा घूमने–फिरने इत्यादि कारणों से अस्थायी अनुपस्थिति को सामान्य निवास की अवधारणा में बाधक नहीं माना जायेगा।

सामान्य निवास के आम सिद्धांतों के अपवाद :

1. सांसद एवं राज्य विधान–मंडलों के सदस्य अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण किये जाने के हकदार है, भले ही वे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपने वास्तविक निवास स्थानों से दूर हों (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20(1B)–अनुलग्नक 1.2)।

2. जेल, अन्य वैधानिक अभिरक्षा, चिकित्सालय, भिक्षु गृह, मानसिक चिकित्सालय इत्यादि शरणस्थलों में रह रहे व्यक्तियों को उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाना है जहॉ यह संस्थाएं स्थित है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (2)– अनुलग्नक 1.2)।

3. **छात्रावास या मेस या लॉज में अधिकांशतः लगातार रहने वो छात्र,** यदि वे अन्यथा योग्य हों एवं अपने सामान्य घर अथवा गृह– स्थान थोडी अवधियों के लिए ही जाते हों उस स्थान के सामान्य निवासी माने जा सकते है जहॉ वह छात्रावास या मेस या लॉज अवस्थित है। यद्यपि, वे चाहें तो विकल्प के तौर पर अपना नाम अपने माता पिता के साथ अपने गृह–स्थान की निर्वाचक नामावली में निबंधित करा सकते है।

4. **सेवा मतदाता :** सामान्यतः, संघीय सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय बर्धसैनिक बलों जैसे ब0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0,आई0टी0बी0पी0, एन0एस0जी0, आर0पी0एफ0 तथा असम राइफल्स के सेवारत सदस्य, राज्य के बाहर तैनात राज्य सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य एवं भारत से बाहर पदस्थापित सरकारी सेवक अपने गृह–स्थानों, जो उनके सामान्य निवासों से भिन्न हो सकते है, पर पंजीकृत होने के हकदार हैं। यदि किन्हीं सेवा मतदाता की पत्नी सामान्यतः अपने पति के साथ रहती हों, तो वे भी अपने पति के साथ ही गृह–स्थान क निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने की हकदार हैं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3)– अनुलग्नक 1.2)।

5. **अप्रवासी निर्वाचक :** ऐसे भारतीय नागरिक, जिन्होने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जो भारत के बाहर रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास के स्थानसे अनुपस्थित हैं, अपने पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A–अनुलग्नक 1.3)।

6. **अधिघोषित पदधारक** (Persons holding declared office) : संघ के अधिघोषित पदो के धारक जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय एवं राज्य मंत्री तथा संघ के उप–मंत्री, उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग के सदस्य, लोक सभा के स्पीकर एवं उपस्पीकर, रज्य सभा के उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय संसदीय सचिव तथा राज्य के अधिघोषित पदधारक यथा राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री, राज्य विधान परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के स्पीकर एवं उपस्पीकर, राज्य के संसदीय सचिवा एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। तथापि अधिघोषित पद क धारक द्वारा अपने नाम एवं गृह निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में दिया गया बयान अंतिम नहीं होगा एवं ऐसे व्यक्ति, जिनके पास इससे इतर कोई साक्ष्य हो, उनका उपर्युक्त विवरण अधिघोषित पदधारक द्वारा घोषित गृह निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के बिन्दु पर आपति करने का विकल्प खुला रहेगा (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20(4)–अनुलग्नक 1.2)।

7. अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सभी मामलों का निस्तारण समरूपता से कर पाना संभव नही है और न ही ''सामान्य निवास'' को परिभाषित करने हेतु एक सा नियम बनाया जा सकता **है। साधारणतः कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का नामांकन ऐसे पते पर नहीं किया जाना चाहिये जहॉ वे अस्थायी रूप से रह रहे हों; वहीं दूसरी ओर उनका नामांकन उनके साधारण निवास के स्थान पर होना है, भले ही वे अस्थायी रूप से वहॉ से अनुपस्थित हो।**

अध्याय – V

निर्वाचक सूची क्या है

1. नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक सूची होगी। निर्वाचक सूचियां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वार संधारित की जाती हैं।

2. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अलग से कोई निर्वाचक सूची नहीं है। किसी एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियों को मिलाकर उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार होती है। जम्मू एवं कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश, जहॉ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, इसके अपवाद है। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधानसभ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग– अलग निर्वाचक सूचियां तैयार की जाती है। उन केन्द्र शासित प्रदेशों में भी, जहॉ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, निर्वाचक सूचियों का संधारण लाकेसभा निर्वाचन क्षेत्र वार किया जाता है।

3. जम्मू एवं कश्मीर के लिये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियां जम्मू एवं कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों (Jammu & Kashmir Representation of the People Act, 1957 and the Rules made there under.) के अनुसार तैयार की जाती हैं। मात्र राज्य–विषय, जैसा जम्मू और कश्मीर के संविधान में परिभाषत है, इसमें शामिल किये जा सकते है।

4. निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार निर्वाचक सूचियां भौगोलिक रूप से निर्धारित ''भागों'' (Parts) के अनुसार तैयार की जाती हैं तथा प्रत्येक भाग भौगोलिक रू‍प से पहचानने योग्य ''प्रभागो'' (Sectons) में गठित किया जाता है। प्रत्येक भाग के लिये एक चिन्हित मतदान केन्द्र परिसर होता है जहॉ मतदान के दिन उस भाग के निर्वाचकों द्वारा मतदान करने की व्यवस्था की जाती है।

5. निर्वाचक सूची उस वर्ष की पहली जनवरी की अहैता तिथि के आधार पर तैयार या पुनरिक्षित की जाती है जिस वर्ष के लिये वह बनायी या पुनरीक्षित की जा रही है।

6. यदि किसी कारणवश सिी वर्ष निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण नहीं होता है तो गत वर्ष की निर्वाचक सूची ही प्रभावी रहेगी।

7. इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग किसी भी समय, अभिलिखित कारणों से, किसी निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग का इस प्रकार विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

निर्वाचक सूची की रूपरेखा एवं ढांचा

1. निर्वाचक सूची की तैयारी/पुनरीक्षण का वर्ष, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम, आरक्षण स्थिति, निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तथा भागों की कुल संख्या जिनमें वह निर्वाचक सूची विभक्त है, दर्शाते हुये प्रत्येक **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची का एक शीर्षक पृष्ठ (Title Page of Electoral Roll of Assembly Constituency)** होगा, जिसके तुरत बाद प्रत्येक भाग द्वारा आच्छादित क्षेत्र की क्रमानुसार सूची होगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के शीर्षक पृष्ठ का नमूना परिशिष्ट 3.1. पर द्रष्टव्य है। शीर्षक पृष्ट के पीछे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नक्शा होगा। निर्वाचक सूची के अंत में सारांश पृष्ट होगा **(परिशिष्ट 3.2.)**

2. इसी प्रकार भाग (Part) की निर्वाचक सूची के बारे में सूचनाये देते हुये प्रत्येक भाग का भी एक **शीर्षक पृष्ट (Title Page of Part of the Roll)** होता हैं। भाग शीर्षक पृष्ट का नमूना **परिशिष्ट 3.3** पर दिया गया है। इस शीर्षक पृष्ट के पश्चात् संबंधित भाग द्वारा आच्धादित मतदान केन्द्र क्षेत्र का नजरी नक्शा (Sketch Map) होता है। नजरी नक्शा (Sketch Map) आवासीय क्षेत्रों, प्रभागों, सडकों, प्रमुख भावनों जैसे मतदान केन्द्र, डाकघर, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि को दर्शाता है। तत्पश्चात् विहित प्ररूप में निर्वाचकों का विवरण संधारित होता है। प्रत्येक भाग की निर्वाचक सूची के अंत में एक सारांश पृष्ट होगा **(परिशिष्ट 3.4.)।**

3. भाग भौगोलिक रूप से पहचाने जाने योग्य अलग–अलग ''अनुभागों'' में विभक्त होंगे। इन ''अनुभागों'' के अंतर्गत गृह संख्या वार निर्वाचकों का विवरण प्रविष्ट होगा। सामान्यतया एक भवन अलग–अलग ''अनुभागों'' में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिये। प्रत्येक अनुभाग की सूची नये पृष्ठ पर प्रारंभ होनी चाहिये।

4. निर्वाचक नामावली के साथ संलग्न की जाने वाली परिर्वधन, विलोपन एवं संशोधन की पूरक सूचियों का नमूना **परिशिष्ट 3.4** पर दिया गया है।

5. सामान्यतया शहरी क्षेत्र के एक भाग (Part) निर्वाचकों की संख्या 1200 तथा ग्रामीण क्षेत्र के एक भाग (Part) में 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिये।

निर्वाचक सूची की भाषा

निर्वाचक सूची की भाषा निर्वाचक निबंधन नियमावली के नियम 4 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा निदेशित होगी। वर्तमान नीति के अनुसार किसी विधानसभ निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची सामान्यतया संबंधित राज्य की राजकीय भाषा में होगी। परंतु जाहॅ 20 प्रतिशत निर्वाचक अन्य भाषा का व्यवहार करते हों तथा उस अल्पसंख्यक भाषा एवं लिपि में साक्षरों की संख्या काफी अधिक हो, तब निर्वाचक सूची बहुसंख्यक के साथा–साथा उस अल्पसंख्यक भाषा में भी मुद्रित एवं प्रकाशित होगी। इसके अतिरिक्त महानगरों में यह अंग्रेजी में भी हो सकती है। निर्वाचक सूची का अंतिम भाग, जो सेवा मतदाताओं के लिये होता है, भी अंग्रेजी मे मुद्रित होता है।

मतदान केन्द्र

1. प्रत्येक भाग एक सुनिश्चित और सुगठित भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करेगा। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक मतदान केन्द्र (परिसर) होगा जहॉ उस भाग के निर्वाचक मतदान के समय मतदान करेंगे।

2. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम (और पता) उस भाग से संबंधित निर्वाचक सूची के शीर्ष पृष्ठ पर दर्शाया जायेगा। निर्वाचक सूची की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या बिना किसी अपवाद के एक समान होगी।

3. आयोग की परिकल्पना के अनुसार मतदान केन्द्र की दूरी मतदाताओं के आवास से सामान्यतः 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

4. सामान्यतया एक शहरी मतदान केन्द्र में 1200 से अधिक तथा एक ग्रामीण मतदान केन्द्र मे 1000 से अधिक निर्वाचक नहीं होने चाहिये।

अध्याय – VI

निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण

पुनरीक्षण के प्रकार

1. पुनरीक्षण के चार प्रकार है :– (i) गहन, (ii) संक्षिप्त, (iii) अंशतः गहन एवं अंशतः संक्षिप्त, (iv) विशेष

2. **गहन पुनरीक्षण** में सम्पूर्ण निर्वाचक सूची, बिना पूर्व की निर्वाचक सूची का संदर्भ किये हुये, नये सिरे से तैयार की जाती है। जिस वर्ष कोई संक्षिप्त पुनरीक्षण नहीं होता। अपने प्रथम भ्रमण में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक गृह को एक नई संख्या आवंटित करते है, यदि उसे कोई संख्या पहले से आवंटित न हो। अपने दूसरे भ्रमण में वे उस गृह के सभी योग्य सदस्यों के विवरण एक निर्वाचन कार्ड (Electoral Card) पर अंकित करते है। निर्वाचन कार्ड की एक प्रति संबंधित गृह स्वामी को दी जाती है या उसकी अनुपस्थिति में परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दी जाती है। कम उम्र के व्यक्तियों, आनाथों तथा छात्रावासों/लॉजों में निवास करने वाले विद्याथियों का विवरण लिखने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिये। इस प्रकार की परिगणना के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची तैयार कर दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन यिा जाता है।

3. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन सूचियों का **संक्षिप्त पुनरीक्षण** उन वर्षों को छोड़कर, जिनमें गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया जाता है, सामान्यतया प्रत्येक वर्ष किया जाता है। संक्षिप्त पुनरीक्षण में घर–घर जाकर परिगणन नहीं होतपा। तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक सूची को ही, दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, प्रारूप निर्वाचक सूची के रूप में प्राकाशित किया जाता है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत निर्वाचक सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाती हैं।

4. **अंशतः गहन तथा अंशतः संक्षिप्त पुनरीक्षण** के दौरान तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक सूची को ही प्रारूप निर्वाचक सूची के रूप में प्रकाशित किया जाता है। साथ ही साथ गृहों के सम्यापन के लिये बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को भेजा जाता है। दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन सूचियां तैयार की जाती हैं, जो मुख्य सूची के साथ मिलकर निर्वाचक सूची कहलाती हैं

5. निर्वाचक सूची की किसी त्रुटि के कारण, यथा कोई स्थान अथवा प्रखण्ड या निर्वाचकों का कोई अनुभाग निर्वाचक सूची द्वारा आच्छादित नहीं किया जा सक हो, अथवा अन्य किसी कारण से, आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग की निर्वाचक सूची का विशेष पुनरीक्षण आदेशित कर सकता है। यह गहन, संक्षिप्त या अंशतः गहन और अंशतः संक्षिप्त पुनरीक्षण हो सकता है ।

6. इसके बतिरिक्त जब किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण नहीं हो रहा हो तब निर्वाचक सूची के **सतत् अद्यतीकरण (Continuous Updation)** का प्रावधान है। अंतिम रूप से प्रकाशित पिछली निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि ही समम् अद्यतीकरण के लिये भी लागू होती है।

निर्वाचक सूची की तैयारी

निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशनः

निर्वाचक निबंधन नियमावली 1960 के नियम 10 के अंतर्गत जैसे ही किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार हो जाती है, संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रपत्र 5 मे नोटिस के साथ निरीक्षण एवं प्रदर्शन हेतु निम्न प्रकार से प्रकाशित कर दिया जाता हैः

क)– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, यदि वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित हो;

ख)– यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अवस्थित हो तब संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्रपत्र में नोटिस के साथ निर्वाचक सूची की प्रति उस स्थान पर अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाती है, जो इस उद्देश्य के लिये उसके द्वारा निर्धारित किया गया हो।

7. इसके अतिरिक्त निर्वाचक सूची की पीडीएफ प्रति उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाईट पर भी (और जहां लागू हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाईट पर भी) प्रकाशित की जाती है। वेबसाईट पर निर्वाचक सूची की प्रारूप प्रति निर्वाचक के विवरण के साथ किन्तु बिना छायाचित्र के प्रकाशित की जायेगी। परंतु उसमे संबंधित प्रविष्टियों के विवरण क्या हैं।

8. वेबसाईट से यह सत्यापित किया जा सकता है कि प्ररूप 6 में प्राप्त किसी दावे से संबंधित व्यक्ति उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं अन्यत्र निर्वाचक सूची में निबंधित है अथवा नहीं। वेबसाईट की मदद से एक निर्वाचक यह जॉच सकता है कि वह निर्वाचक के रूप में कहीं निबंधित है अथवा नहीं तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों क विवरण क्या है।

9. किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी भागों की सूची का प्रकाशन सेवा मतदाताओं से संबंधित अंतिम भाग की सूची को सम्मिलित करते हुये एक साथ किया जाना चाहिये। सूची के इस अंतिम भाग का प्रकाशन किसी मतदान केन्द्र पर नही होता है, बल्कि उसे प्रकाशन के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या

उनके द्वारा चिन्हित किसी अन्य स्थान पर प्रदिर्शित करने के लिये रख लिया जाता है।

10. प्रारूप निर्वाचक सूची मतदान केन्द्रों पर इसलिये प्रकाशित की जायेगी ताकि आम निर्वाचक आसानी से उस स्थान की जहचान कर सकें जहॉ वे निर्वाचक सूची का अवलोकन कर सकते हैं तथा दावे और आपत्तियां दायर कर सकते हैं।

11. किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन नहीं हेता है।

12. वैसे मामलों में, जाहॉ सूची एक से अधिक भाषओं में मैयार की जाती है, सभी भाषाओं में तैयार की जाती है, सभी भाषाओं में उनकी प्रतियां प्रकाशित की जाती है।

पुनरीक्षण प्रकिया के दौरान और आपत्तियां

1. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत प्ररूप 5 में सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम अधिसूचित करेगा। इस सूचना में सूची में नाम शामिल करने, विलोपित करने, संशोधित करने तथा स्थान परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने हेतु निर्धारित अवधि के साथ–साथ पुनरीक्षण प्रक्रिया के सभी चरणें का उल्लेख होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अंतर्गत नियमानुसार दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिनों तथा अधिकतम 30 दिनों की अवधि का प्रावधान होता है। इस नियम क अन्तर्गत सम्पूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के संदर्भ में सरकारी गजट अधिसूचना द्वारा इस अवधि को बढाने की शक्ति आयोग में निहित है।

2. निर्वाचक सूची के प्रकाशन के उपरांत दावों एवं आपत्तियों के माध्यम से सूची में नामों को जोडा या विलोपित किया जा सकता है तथा निर्वाचक से संबंधित किसी प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता हैं। ये दावे/आपतित्तयां तथा शुद्धिकरण हेतु आवेदन निम्नलिखित समय को छोडकर किसी भी समय दायर किये जा सकते हैः–

   (i) निर्वाचन की घोषणा होने पर नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक निर्वाचक सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है;

   (ii) जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम का अग्रिम रूप से निर्धारण किया जाता है, तब दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिये एक अवधि निर्धारित की जाती है। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत सिर्फ निर्धारित अवधि में दावे एवं आपत्तियां दायर की जा सकती है।

3. पुनरीक्षण अवधि में प्ररूप 6 में से दावे, प्ररूप 7 में अपत्तियां, प्ररूप 8 में शुद्धिकरण हेतु आवेदन तथा प्ररूप 8 क में आवास परिवर्तन हेतु दिये गये आवेदनों की जॉच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 20 के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है। इसी नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकरी अनवधानतावश प्रारूप सूची में छूट गये (पाण्डुलिपि से अथवा स्वीकृत मामले इत्यादि) नामों को स्वप्रेरणा से (Suo-Moto) जोड़ सकता है और नियम 21 ए के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वप्रेरणा से (Suo-Moto) अनवधानता वश अथवा गलती से सूची में शामिल कर लिये गये नामों को विलोपित कर सकता है।

दावों, आपत्तियों तथा शुद्धिकरण हेतु आवेदन का प्ररूप :

1. प्रत्येक दावा प्ररूप 6 अथवा 6क (परिशिष्ट 4.1 और 4.2) में किया जायेगा तािा उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो निर्वाचक सूची मे निर्वाचक के रूप में अपने नाम की प्रविष्टि का इच्छुक है। फोटो निर्वाचक सूची के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को, छायाचित्र के साथ अपने नाम की प्रविष्टि चाहता है, प्ररूप 6/6क के साथ दो प्रतियों में उपना छायाचित्र समर्पित करना होगा।

2. **उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अपना निवास अन्यत्र स्थानान्तरित करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचक सूची में उनसे संबंधित प्रविष्टियों को अन्यत्र ले जाने के लिये प्ररूप 8क में आवेदन देने का मार्गदर्शन दिया जाना चहिये न कि प्ररूप 6 में, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है।**

3. प्रारूप सूची में शामिल किसी नाम क विरूद्ध आपत्ति प्ररूप 7 **(परिशिष्ट 4.3)** में सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा दी जायेगी जिसका नाम पहले से उस निर्वाचक सूची में शामिल हो जिसमें आक्षेपित व्यक्ति का नाम शामिल है।

4. प्रारूप निर्वाचक सूची में अंकित किसी प्रविष्टि अथवा प्रविष्टियों के शुद्धिकरण हेतु दिया गया प्रत्येक आवेदन प्ररूप 8 में होगा **(परिशिष्ट 4.4)** और उसी व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा, प्रविष्टि जिससे संबंधित है। निर्वाचक सूची में छायाचित्रों का समावेश, उन्हें हटाना या छायाचित्र को बदलना भी प्रविष्टियों के शुद्धिकरण में शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिये सही छायाचित्र प्ररूप 8 में चिपकाकर दिया जाना चाहिये। वैसे निर्वाचक, जो अपने छायाचित्र का शुद्धिकरण चाहते हैं अथवा उसे बदलना या छायाचित्र देना चाहते हैं, उन्हें प्ररूप 8 (शुद्धिकरण हेतू) के साथ दो छायाचित्र प्रस्तुत करने चाहिये।

5. यदि कोई व्यक्ति अपना किसी दुसरे व्यक्ति का नाम एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक भाग से दूसरे भाग की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरित कराना चाहता है तो उसे प्ररूप 8क **(परिशिष्ट 4.5)** में आवेदन देना चाहिये।

6. पदस्थापन के स्थान पर सेवा समदातओं द्वारा सामान्य निर्वाचक के रूप में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिये प्ररूप 6 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अधिघोषणा प्रारूप **(परिशिष्ट 4.11)** की रिक्त प्रतियां छावनी क्षेत्र के निर्धारित स्थानों पर रखी जायेंगी।

दावों एवं आपत्तियों की प्राप्ति

1. निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद देावे एवं आपत्तियां प्राधिकृत पदाधिकारी को विहित अवधि के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिये। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त ऐसा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के समाप्त हो जाने पर अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि के आधार पर किसी भी समय सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जा सकते है।

2. **संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान थेक में (In Bulk) आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे।**

3. बीएलओ द्वारा अलग–अलग आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिये। हालांकि जब ये आवेदन एक ही कुटुम्ब अर्थात एक ही परिवार के हों तथा प्रस्तुत किये जाये ंतो उन्हे प्राप्त किया जा सकता हैं। किसी व्यक्ति/संस्था या राजनैतिक दल द्वारा थेक में दिये गये आवेदनों को अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाना चाहिये। यही सिद्धांत दावों एवं आपत्तियों के संबंध में डाक से भेजे गये आवेदनों के लिये भी मान्य होगा।

4. **बीएलओ द्वारा प्राप्त किये गये प्ररूप उस क्षेत्र के पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित (प्ररूप 9, 10, 11 तथा 11क मे) किये जायेंगे।**

प्रस्तुतीकरण के समय प्ररूपों की प्राथमिक जॉच

1. दावे एवं आपत्तियों से संबंधित प्रत्येक आवेदन के लिये प्राप्ति रसीद दी जानी चाहिये। हालांकि प्राप्तिहय रसीद देने के पूर्व प्रत्येक प्ररूप की प्राथमिक जॉच अवश्य की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि :–

   (i) प्राप्त प्ररूप, थोक में प्रस्तुत आवेदनों का हिस्सा नहीं है।

   (ii) कोई भी अहस्ताक्षरित प्ररूप प्राप्त नहीं करना चाहिये। यह आवेदक द्वारा, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, स्वंय हस्ताक्षरित होना चाहिये या प्ररूप पर आवेदक के अगूंठे का निशान प्राप्त किया जाना चाहिये। प्ररूप 6,7,8 एवं 8क यह स्तःस्पष्ट करते हैं कि दावे एवं आपतियों के आवेदन में विहित स्थान पर दावा या आपति करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान अवश्य हो। जहॉ दावाकर्त्ता साक्षर है, उसे अपने नाम का हस्ताक्षर करना चाहिये न

कि किसी के द्वारा लिचो गये उसके नाम के समक्ष कोई चिन्ह मात्र लगाना चाहिये। और जहॉ दावाकर्त्ता निरक्षर है, उसे प्ररूप पर अपने अगूंठे का निशान लगाना चाहिये न कि कोई अन्य चिन्ह। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन स्वंय प्रस्तुत करने की यही विहित रीति है। दावे एवं आपत्तियों से संबंधित ऐसे आवेदनों को, जो सही तरीके से हस्ताक्षरित नहीं हों अथवा बिन अगूंठे के निशान वाले हों, बएलओ द्वारा प्राप्त करने से इनकार कर दिया जाना चाहिए।

(iii) प्ररूप को कोई भी स्तंभ अथ्वा मागी गयी सूचना रिक्त नही रहनी चाहिये। जहॉ मांगी जा रही सूचना मालूम न हो वहॉ ''मालूम नही'' अंकित किया जाना चाहिये।

(iv) कोई भी अपूर्ण आवेदन (जिसमे पूर्व मका पता अंकित न हो) प्राप्त नहीं किया जाना चाहिये।

जन्म तिथि तथा आवास के साक्ष्य के रूप में मान्य अभिलेखों की सूची

1. जन्म तिथि

(i) नगर निकाय प्राधिकारियों अथवा जिला पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा बपतिस्मा प्रमाण पत्र ; या

(ii) जन्म प्रमाण पत्र जो उस मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अथवा स्कुल (सरकारी/मान्यता प्राप्त) से जारी किया गया हो जहॉ आवेदक ने सबसे अंत मे शिक्षा ग्रहण की हो ; या

(iii) दसवीं उत्तीर्ण व्यक्ति द्वारा कक्षा दस की अंक तालिका जन्म तिथि के सामच्य के रूप में दिया जाना चाहिये; या

(iv) किसी कक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र ; या

(v) कक्षा 8 की अंक तालिका, यदि उसमें जन्म तिथि अंकित हो ; या

(vi) कक्षा 5 की अंक तालिका; यदि उसमें जन्म तिथि अंकित हो ; या

(vii) यदि संबंधित व्यक्ति कक्षा दस तक शिक्षित नहीं है तो उसके माता या पिता द्वारा **परिशिष्ट 4.10** में दिये गये विहित प्ररूप में दी गयी घोषणा ;या

(viii) यदि संबंधित व्यक्ति शिक्षित नहीं है तथा उसके माता एवं पिता दोनों जीवित नहीं है तब संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा संबंधित नगर निगम/नगर परिषद् के किसी सदस्य द्वारा उम्र के संबंध मे दिया गया प्रमाण पत्र।

2- सामन्यतया निवास का स्थान

(i) बैंक/किसान/डाकघर की अद्यतन पासबुक,या

(ii) आवदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर मूल्यांकन आदेश, या

(iii) जल/दूरभष/विद्युत/गैस कनेक्शन का अद्यतन बिल जो आवेदक या उसके करीबी रिश्तेदार जैसे मात–पिता इत्यादि क`पते पर जारी हो, या

(iv) डाक विभाग के किसी डाक की प्राप्ति/ दिये गये पते पर आवेदक क नाम से पहुंचायी गयी कोई डाक।

प्राप्त प्ररूपों का संधारण :

प्रत्येक बीएलओ द्वारा दावों से संबंधित सूची प्ररूप 9 (परिशिष्ट 4.6) में, प्रविष्ट नामों के विरूद्व या जोड़े गये नामों के विरूद्ध दी गई आपतियों से संबंधित सूची प्ररूप 10 (परिशिष्ट 4.7) में, प्रविष्टियों के संबंध में दी गई आपत्तियों की सूची प्ररूप 11 (परिशिष्ट 4.8) में तथा प्रविष्टियों के स्थानान्तरण से संबंधित आवेदनों की सूची प्ररूप 11क (परिशिष्ट 4.9) में दोहरी प्रतयों में तैयार की जायेगी। बीएलओ से प्राप्त प्ररूपों के लिये ऐसी सूचियां तैयार करेगा तथा अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा। उपर्युक्त चारों प्रकार की सूचियों की एक प्रति बीएलओ क कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगातार प्रदर्शित रहेगी। ऐसी सूचियों का संधारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15 के अन्तर्गत अनिवार्य है। बीएलओ द्वारा सूचियों की दूसरी प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जायेगी।

अनुपूरकों की तैयारी

1. प्रारूप प्रकाशन के प्श्चात पुनरीक्षण की अवधि में उन निर्वाचकों के लिये, जिनके नाम निर्वाचक सूची मे जोड़े गये हों अथवा सूची से हटाये गये हों या एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में स्थाननान्तरित किये गये हों और जिनसे संबंधित प्रविष्टयां संशोधित की गई हों, अनुपूरक सूची तैयार की जाती है। अंतिम प्रकाशन के समय अनुपूहरक सूची मूल सूची के साथ जोड़ दी जाती है जो प्रारूप सूची के रूप में प्रकाशित हुई थी। निर्वाचक सूची में जोड़े गये निर्वाचकों की सूची (परिवर्धन सूची) में निर्वाचकों की क्रम संख्या मूल सूची के अंतिम क्रमांक के बाद से प्रारंभ होती है तथा यह प्रभागवार तैयार की जाती है। हटायी गयी (विलोपन सूची) अथवा संशोधित प्रविष्टयों की सूची (संशोधन सूची) अनुभागवार मैयार नहीं की जाती है तथा इन सूचियों में निर्वाचकों का क्रमांक वही होता है जो मूल सूची में उनका क्रमांक है।

2. अनुपूरक की विलोपन सूची में विलोपन के कारणों को दर्शाते हुये संकेताक्षर निर्वाचक के क्रमांक के सामने उपसर्ग के रूप में उल्लिखित कर दिये जाते है। इन संकेतों को स्पष्टीकरण के साथ विलोपन सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर पादटीका (Footnote) के रूप

में मुद्रित किया जाता है। मूल सूची में विलोपित निर्वाचक से संबंधित खाने में सॉफ्टवेयर के माध्यम से '' DELETED'' शब्द अध्यारोपित किया जाता है। इससे निर्वाचकों की क्रम संख्या में तथा भाग शीर्ष पर प्रकाशित निर्वाचकों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3. पुनरीक्षण अथवा सतत् अद्यतीकरण के फलस्वरूप मूल सूची के साथ एक या अधिक अनुपूरक जुडे हो सकते हैं ऐसी स्थिति मे मूल सूची तथा अनुपूरकों के बाद निर्वाचकों के सारांश से संबंधित एक सारांश पृष्ठ संलग्न होता है। इस सारांश पृष्ठ में परिवर्धन सूची द्वारा जोड़े गये, विलोपन सूची द्वारा हटाये गये तथा सम्पर्ण निर्वाचक सूची में परिवर्धन सूची में परिवर्धन एवं विलोपन क पश्चात् कुल निर्वाचकों की संख्या उल्लिखित होता है। प्रत्येक ऐसे निर्वाचक के नाम क समक्ष सॉफ्टवेयर द्वारा 'हैश' (#) मुद्रित किया जाता है जिससे संबंधित प्रविष्टियों में संशोधन किये गये हों।

सतत् अद्यतीकरण (Continuous Updation) :

1. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन से लेकर अगले प्रारूप प्रकाशन तक जारी रहती है।

2. निर्वाचन की अवधि में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी नहीं रहती है। यद्यपि परिवर्धन, विलोपन या संशोधन के लिये आवेदन इस अवधि में भी प्रस्तुत किये जा सकते है, परन्तु इन पर कोई कार्रवाई निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक नहीं होगी।

3. निर्वाचक पंजीयक प्रक्रिया की प्रकृति अनिवार्यतः सतत् अद्यतीकरण की है, जानकारी के आभव के कारण सामान्य जन को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता हैं। अतः बीएलओ को चाहिये कि निर्वाचक सूची में सतत् अद्यतीकरण द्वारा परिवर्धन, विलोपन, संशोधन तथा प्रविष्टियों के स्थानान्तरण से संबंधित प्रावधानों को प्रचारित करें।

4. अंतिम रूप से प्रकाशित सूची में सतत् अद्यतीकरण की अवधि में (लो0प्र0 अधिनियम 1950/नि0 नि0 नि. 1960) नाम जोड़ने, विलोपन तथा संशोधन के लिये प्राप्त आवेदनों की विवरणी के संधारण हेतु पंजिकाओं का संधारण किया जाना चाहिये।

5. सतत् अद्यतीकरण से संबंधित अनुपूरक सूची किसी वर्ष विशेष के लिये प्रकाशित होने वाली प्रारूप सूची के अंतिम अनुपूरक के नीचे प्रारूप सूची के खंड के रूप में मुद्रित की जायेगी। निर्वाचक सूची की पुनरीक्षण अवधि में इन्हें प्रारूप सूची के अंतिम अनुपूरक के रूप मे अनुपूरक का प्रकार तथा तिथि अंकित करते अुये शामिल किया जायेगा। सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया से तैयार की गई परिवर्धन, विलोपन, संशोधन या प्रविष्टियों के स्थानान्तरण के कारण किसी परिवर्धन/विलोपन समची को निर्धारित अंतराल पर प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. पंजीयन हेतु प्राप्त किसी आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् इसकी प्रविष्टि अंतिम रूप से प्रकाशित सूची/ अनुपूरक सूची के अंतिम क्रमांक के बाद होगी।

7. परिवर्धन, विलोपन तथा शुद्धिकरण की प्रविष्टि संगत अनुपूरक संगत अनुपूरक क अन्तर्गत होनी चाहिये।

8. अगले माह की सातवीं तारीख मक पांडुलिपि की एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचक सूची प्रबंधन प्रणाली (ERMS)/निर्वाचक सूची की कम्प्यूटरीकृत कार्यकारी प्रति में डाटा प्रविष्टि के लिये हस्तांतरित की जायेगी।

अध्याय–VII

प्रवासी निर्वाचकों का पंजीकरण

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क, जिसे लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है और जो दिनांक 10 फरवरी, 2011 से प्रभावी हो चुकी है, में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, अर्थात् भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य किसी कारण से भारत में अपने सामान्य निवास कें स्थान से अनुपस्थित रह रहा है, जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, और जिसका नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं है, वह उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नाम निंबधित कराने हेतु अधिकृत है, जो उसके पासपोर्ट में प्रविष्टि के अनुसार भारत में उसका निवास स्थान है।

2. प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम ,1960 के नियम 8क के अनुसार भारम के किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, एवं जिसने 01 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जो अपना नाम निर्वाचक सूची में पंजीयन हेतु निबंधित कराने का इच्छुक है, प्रारूप–6क (एनेक्सचर 4.2) में उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें पासपोर्ट की प्रविष्टि के अनुसार उसका निवास स्थान अवस्थित है। प्ररूप–6क में दावा संबंधी आवेदन या तो स्वयं उपस्थित हो कर संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप–6क में वर्णित तथा दिशानिर्देशों में उल्लिखित अभिलेखों के साथ डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हो कर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो पासपोर्ट की मूल प्रति भी सत्यापन के लिए उपस्थिापित की जानी चाहिये। जब दावा से संबंधित आवेदन डाक द्वारा भेजा जाये तब उसके साथ पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की सम्यक रूप से स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न होनी चाहिये।

3. डाक से प्रारूप 6क में प्राप्त आवेदनों तथा उनके साथ संलग्न स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेजों का सत्यापन बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके लिए पासपोर्ट में उल्लिखित गृह पते पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा जा कर जांच की जायेगी। स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियों के सत्यापन हेतु आवेदक के संबंधी/रिश्तेदार से पृच्छा की जायेगी तथा उनसे इस संबंध में घोषणा–पत्र प्राप्त किया जायेगा। उन मामलों में, जहां कोई रिश्तेदार उपलब्ध न हो अथवा दस्तावेजों के सत्यापन संबंधी घोषणा–पत्र देने हेतु रिश्तेदार इच्छुक नहीं हो अथवा दस्तावेजों के रिश्तेदारों द्वारा किये गये सत्यापन से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संतुष्ट

नहीं हों, सभी दस्तावेजों को संबंधित भारतीय उच्चायोग/दूतावास, जहां आवेदक निवास करते हैं, सत्यापन के लिए भेजा जायेगा।

4. मतदान के समय मतदान केन्द्रों पर प्रवासी निर्वाचकों का सत्यापन उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए उन्हें मतदान केन्द्र पर अपने मूल पासपोर्ट को ले कर आना आवश्यक होगा।

अध्याय – VIII

सेवा मतदाताओं का नामांकन

1. सेवा मतदाता सेवा अर्हता प्राप्त मतदाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप धारा (8) के प्रावधानो के अनुसार ''सेवा अर्हता'' से अभिप्रेत हैः–

   (क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

   (ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए है, अथवा

   (ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

   (घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है,

2. ऐसे व्यक्ति जिन्हें सेवा हअैता प्राप्त हैं, अपने पैतृक स्थान पर 'सेवा मतदाता' के रूप में नाम दर्ज करा सकते है, यद्यपि वे दुसरी जगह (पदस्थापन स्थल पर) पर निवास करते हैं **उन्हें यह विकल्प भी उपलब्ध है िकवे अपने पदस्थापन स्थल पर सामान्य निर्वाचक से रूप में अपना नामांकन करा सकते हैं, जिस जगह पर वे प्र्याप्त अवधि से अपने परिवार कि साथ सामान्यतया निवास कर रहे है।**

3. सेवा मतदाता की पत्नी, यदि वह सेवा निवर्पाचक के साथ सामान्यतया निवास कर रही हो, तो उन्हें भी उस निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि सशस्त्र बल मतदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया हैं, का सेवा मतदाता समझा जायेगा। इस हेतु सशस्त्र बल मतदाता को प्ररूप 2 **(एनेक्सचर 5.1)** अथवा प्ररूप 2क **(एनेक्सचर 5.2)** में यह घोषणा–पत्र देना होगा कि उसकी पत्नी सामान्यतया उसके साथ निवास करती हैं।यह सुविधा पुरूष सेवा मतदाता की पत्नी को ही उपलब्ध है, महिला सेवा मतदाता के पति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

4. ऐसा व्यक्ति, जिसे सेवा अर्हता प्राप्त है, को निर्वाचक सूची के **गहन पुनरीक्षण** के सर्वेक्षण के समय सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं किया जाना है, भले ही वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ सर्वेक्षण के समय अपने निवास स्थल पर मौजूद हो।

5. इसी प्रकार सेवा मतदाता की पत्नी, जो अपने पति के साथ उसके पदस्थापन स्थल पर सामान्यतया निवास करती है, को निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण के सर्वेक्षण

के समय सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह सर्वेक्षण के समय घर पर मौजूद हो।

6. लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जिसे सेवा अर्हता प्राप्त है, अपने पदस्थापन स्थल पर अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय से सामान्यतया निवास करता है, तो उस व्यक्ति की गणना सामान्य निर्वाचक कि रूप में (गहन पुनरीक्षण के दौरान) एवं प्ररूप 6 में स्वेच्छापूर्वक अनुरोध के माध्यम से (संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान) की जा सकती है। उक्त सभी मामलों मे सेवा मतदाता एवं उसकी पत्नी से विहित प्रपत्र **(एनेक्सचर 4. 11)** में घोषणा–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

7. सेवा के वैसे सभी सदस्य, जिनका नाम अपने पैतृक स्थान के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम भाग की निर्वाचक सूची में नाम दर्ज नहीं हो तथा जो अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर पर्याप्त अवधि सक अपने परिवार क साथ रह रहे हों, परस्थापन स्थल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य भाग की निर्वाचक सूची में समान्य निर्वाचक के रूप में नामांकन कराने हेतु योग्य होंगे।

अध्याय – IX

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक)

1. मतदाता फोटो पहचान पत्र(ईपिक) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 क अन्तर्गत जारी यिा गया एक पहचान अभिलेख है। ईपिक में निर्वाचक का विवरण यथा नाम, पिता/माता/पति का नाम, जन्म तिथि/अर्हता तिथि को आयु, लिंग, पता एवं सबसे महत्त्वपूर्ण–निर्वाचक का छायाचित्र–होता है। ईपिक का परूप **परिशिष्ट 6 तथा 6 क** पर द्रष्टव्य है।

2. मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्वाचक के लिये एक स्थायी दस्तावेज है। यह मतदान के समय निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। निर्वाचक, जिन्हें ईपिक जारी किया गया हो, के लिये यह अनिवार्य है कि वे मतदान के समय अपना ईपिक प्रस्तुत करें ताकि उन्हें मतदान करने दिया जा सकें।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) का प्ररूप

3. फोटो पहचान पत्र का आकार भारत निवार्चचन आयोग द्वारा निर्धारित है एवं यह 8.4 से0मी0 लम्बाई x 5.0 से0मी. चौडाई का हनो चाहिये। छायाचित्र 320x240 पिक्सल स्पष्टता (resolution) एवं 2.4 से0मी0 ऊॅचाई x 1.8 से0मी0 चौडाई के आकार का होना चाहिये जिसमें छायाचित्र का 75% भाग हल्की पृष्टभूमि में सामने से लिये गये निर्वाचक के चेहरे से आच्छादित हो। ईपिक पर अंकित करने हेतु निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति का नाम, जन्म तिथि/अर्हता तिथि पर आयु इत्यादि की जानकारी निर्वाचक विवरण डाटाबेस (elector detail database) से प्राप्त की जानी है। निर्वाचक नामावली में जन्म तिथि प्रदर्शित न हो कर मात्र आयु ही प्रदर्शित होती हैं परंतु यह आयु प्ररूप 6 में निर्वाचक द्वारा दी गयी जन्म तिथि, यदि वह निर्वाचक को ज्ञात हो, से ही प्राप्त की जाती है। अतः मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रयोजन के हेतु जन्म तिथि प्ररूप 6 से ही ली जानी चाहिये। यदि जन्म तिथि उपलब्ध न हो अथवा प्ररूप 6 में उसका लल्लेख न कर मात्र आयु का ही उल्लेख किया गया है तो उक्त आयु से निर्वाचक के जन्म के वर्ष की गणना कर ईपिक पर 'जन्म तिथि' के लिय`दिये गये 8 खानों (Last 4 Boxes) में जन्म का वर्ष उल्लिखित किया जाना चाहिये।

4. ईपिक पर निर्वाचक का छायाचित्र मुद्रित होता है तथा एक सुरक्षा होलोग्राम ीस प्रकार चिपकाया जाता है कि उसका आधा भाग छायाचित्र मुद्रित होता है तथा एक सुरक्षा होलोग्राम इस प्रकार चिपकाया जाता है कि उसका आधा भाग छायाचित्र पर आधा छायाचित्र की बायीं ओर बगल में खाली स्थान पर स्थित हो। ईपिक की दूसरी ओर निर्वाचक का पता तथा ईपिक जारी करने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति (facsimile signature) अंकित होता है।

5. आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ईपिक की छपाई में प्रयुक्त होने वाला कागज 165 ज0एस0एम0 से कम का नहीं होना चाहिये। जहॉ कागज की एक ओर ही छपाई कर एवं उसे मोड़कर ईपिक तैयार किया गया हो, वहॉ प्रयुक्त किया गया कागज 80 ज0एस0एम0 से कम का नही होना चाहिये। ईपिक के लैमिनेशन में प्रयोग की जाने वाली पॉलिएस्टर परत की मोटाई कम–से–कम 125 माईक्रॉन होनी चाहिये। ईपिक के आकार–प्राकर से संबंधित विस्तृत निदेश परिशिष्ट 6 तथा 6क पर देखे जा सकते है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) तैयार एवं जारी करना

6. ईपिक तैयार किये जाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी) द्वारा वेण्डर चिन्हित किये गये होंगे एवं ईपिक बनाने हेतु उन्हें स्थान उपलब्ध कराया गया हैगा। ईपिक तैयार करने एवं जारी करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है निर्वाचक का छायाचित्र। निर्वाचकों का छायांकन किये जाने हेतु प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला में अभिहित छायांकन स्थल (Designated Photography Locations-DPL) या वी0या0ई0सी0 होते हैं।

7. ईपिक के पीछे निर्वाचक द्वारा दिया गया पता अंकित होता है जिसका विधिवत सत्यापन कर लिया जाता है। तत्पश्चात ईपिक जारी करने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति एवं उनका पदनाम अंकित रहता हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति (Facsimile) वाली मुहर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे उन्हीं की अभिरक्षा में रखा जाता है।

8. इस प्राकर तैयार किये गये ईपिक का लैमिनेशन कर उसे मतदाता को हस्तगत करा दिया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये हक ईपिक उसी निर्वाचक को हस्तगत कराया जाये वास्तव में वह जिसका ईपिक हो एवं ईपिक प्राप्त किये जाने की उचित पावती भी ले ली जानी है। किसी भी दशा में अग्रतर वितरण हेतु किसी बिचौलिये को ईपिक नही सौंपा जाना है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) जारी करने की प्रक्रिया

1. किन्हीं निर्वाचक को एक बार ईपिक जारी कर दिये जाने के पश्चात् वह देश भर मे मान्य होता है तथा निर्वाचक को दूसरा ईपिक जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह उस निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित हो गया हो जहॉ से उसे पूर्व में ईपिक जारी हुआ था। ईपिक का उद्देश्य निर्वाचक नामावली में नाम के साथ निर्वाचक की पहचान करना है। एक बार जारी किया जा चुका ईपिक, भले ही वह किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जारी किया गया हो, इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है।

2. 10. ईपिक जारी किये जाते समय स्थिति क अनुसार विभिन्न सावधानियॉ बरती जानी चाहिये। वैसे निर्वाचक से संबंध में, जिन्हे पहली बार ईपिक जारी किया जा रहा हो,

साधारणतया ईपिक जारी करने का कार्य निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित किये जाने के सथ ही होगा। उनेा निर्वाचक नामावली में जोडे जाने तथा उनें छायाचित्र एवं पता के भौतिक सत्यापन के उपरांत उन्हें ईपिक जारी किया जा सकता है। आवदेक क पहलल बार निर्वाचक बनने संबंधी तथ्य का सत्यापन उनके द्वारा प्रपत्र 6 के भाग IV में दी गयी घोषणा से कर लिया जाना चाहिये।

3. ऐसे मामलों मे, जहॉ कोई निर्वाचक पूर्व से ही पंजीकृत हों एवं उनका दावा हो कि उन्हें पूर्व में ईपिक जारी नहीं किया गया है, वहॉ निर्वाचक से तत्संबंधी घोषणा प्राप्त कर ली जानी चाहिये। उन्हें ईपिक जारी किये जाने से पूर्व, उनके द्वारा प्रपत्र 6 के भाग IV में दी गयी घोषणा में उल्लिखित पूर्व निवास के निर्वाचन क्षेत्र के डाटा बेस से, यह सत्यापित कर लिया जान चाहिये कि उन्हें पहले कभी कोई ईपिक जारी नहीं किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि निर्वाचक द्वारा कोई ऐसा पता दिया गया है जिसका सुराग नहीं मिल रहा है, तो ईपिक जरी नहीं किया जाना चाहिये तथा निर्वाचक को सलाह दी जानी चाहिये ि कवे अपने पूर्व निवास का सही एवं पूरा पता उपलब्ध करायें। यदि आवेदक के पूर्व निर्वाचक के रूप में विवरण न हो सके तो ईपिक जारी करने के पूर्व अग्रतर जॉच की जानी चाहिये।

4. ऐसे मामलों में, जहाम् किसी निर्वाचक को एक निार्वचन क्षेत्र में ईपिक जारी हो चुका है ताथा दुसरे निर्वाचन क्षेत्र में नये निवास स्थान पर स्थानांतरित होने के कारण उन्होने नये ईपिक हेतु आवेदन दिया हो, वहॉ पूर्व निवास स्थान वाले निर्वाचन क्षेत्र के डाटा बेस से निर्वाचक का ईपिक विवरण,छायाचित्र सहित, प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। निर्वाचक को अपना मूल ईपिक भी जमा करने हेतु कहा जाना है। यदि पाया जाता है। कि निर्वाचक द्वारा कोई ऐसा पता दिया गया है जिसका सुराग नहीं मिल रहा है, तो ईपिक जारी नहीं किया जाना चाहिये तथा निर्वाचक को सला दी जानी चाहिये ि कवे अपने निवास का सी एवं पूरा पमा उपलब्ध करायें। आवश्यक विवरण तथा मूल ईपिक प्राप्त करने एवं वर्तमान आवासीय पता के उचित सत्यापन क उपरांत निर्वाचक को पूर्वर्ती ईपिक संख्या के साथ नया ईपिक, रु25/– के शुल्क के भुगतान पर, जारी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नये ईपिक पर ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकित नहीं किया जाना चाकिये।

5. ऐसे मामलो में, जहॉ निर्वाचक को ईपिक जारी किया गया है तथा निर्वाचक ने कुछ प्रविष्टियों में संशोधन हेतु अनुरोध किया हो, वहां आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु निर्वाचक द्वारा प्ररूप 8 में अनुरोध किया जाना चाहिये। इस दशा में प्ररूप 8 की प्राप्ति के उपरांत आवश्यक संशोधनों के साथ उसी ईपिक संख्या का ईपिक जारी किया जाना चाकिये जो ईपिक संख्या पूर्ववर्ती की थी। ऐसे मामलों में भी नये ईपिक पर ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकि नही किया जाना चाहिये।

6. यदि निर्वाचक द्वारा यह दावा किया जाता है कि उन्हें पूर्व मे जारा ईपिक खो गय है, तो उनसे इस आशय का एक घोषणा–पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। तत्पश्चात

उन्हें पूर्वर्ती ईपिक में अंकित विवरण, ईपिक संख्या सहित, के साथ नया ईपिक जारी किया जाना चाहिये। इस तरह के मामलों में नये ईपिक पर ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकित किया जाना चाहिये।

7. आयोग द्वारा ईपिक जारी करने हेतु रु25/– का एक मामूली शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि बार–बार ईपिक जारी करने संबंधी अनुरोध करने की प्रवृति में कमी लाई जा सके। यह शुल्क निम्न दशाओं में नहीं वसूला जाना है :–

(क) पहला ईपिक जारी करते समय

(ख) निर्वाचन तंत्र के कारण किसी त्रुटि के फलस्परूप

(ग) प्राकृति आपदा, यथा– बाढ़, तुफान, भूकंप इत्यादि के कारध संपदा नष्ट होने से ईपिक का खो जाना

8. चूँकी पहली बार जारी किया जाने वाला ईपिक निःशुल्क है तथा एक बार जारी किये जाने के पश्चात् वह पुरे जीवन–काल हेतु देश भर में कहीं भी मान्य है, अतः ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें, निर्वाचन के दौरान अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु, निर्वाचक को यह शुल्क अदा करने के लिए बाध्य किया जाये। ऐसे मामलों मे, जहॉ निर्वाचक को पते में या उसके अनुरोध पर अन्य विवरण में बदलाव के कारण या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों मे सुधार किये जाने के कारण पुनः ईपिक जारी किया जाना हो, वहॉ निर्वाचक का पुराना ईपिक उनसे वापस प्राप्त कर लेना है। किसी भी परिस्थिति में एक निर्वाचक द्वारा दो ईपिक नहीं रखे जा सकते है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु

1. निर्वाचक के ईपिक–विवरण की व्यापकता, विशिष्टता एवं नित्यता बनाये रखने क पूरे प्रयास किये जाने चाकिये। निर्वाचक–विवरण को उनके ईपिक–विवरण से जोडने वाली ईपिक संख्या होती है। ईपिक संख्या प्रत्येक निर्वाचक को एक विशिष्ट स्थायी पहचान उपलब्ध कराती है, अतएव यह अत्यावश्यक है कि एक बार निर्मित होने क बाद यह सूचना नष्ट न हो। ऐसे मामलों में, जहॉ निर्वाचक नामावली क सत्यापन हेतु घर–घर जाने का अभियान चलाया जाता है, वहॉ प्रत्येक के अन्य विवरण के साथ–साथ ईपिक संख्या भी प्राप्त की जानी चाहिये।

2. ईपिक महज पहचान स्थापित करने का एक अभिलेख है। मात्र ईपिक के होने से किसी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। यह अधिकार मात्र उन्हीं को प्राप्त है जिनके नाम तत्यमय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में भी हो। ईपिक उन व्यक्तियों, जिनके नाम निर्वाचक नामावली में है, की मात्र पहचान स्थापित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके िकवे मतदान के अपने अधिकारी का सुगमता से प्रयोग कर सकें।

5. बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0)

6. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने हेतु आयोग ने मतदान/मतगणना के समय नियुक्त किये जाने वाले मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के सदृश बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) की सहायता करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बूथ स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) की अवधारणा की है। सामान्यतः निर्वाचक सूची के एक भाग के लिए एक बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) नियुक्त किया जाता है। वह संबंधित भाग क्षेत्र, जहाँ वह निवास करता है, का पंजीकृत निर्वाचक होता है।

अध्याय – X

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की पंजिका

बूथ लेवल अधिकारी की पंजिका दो भाग में निम्नवत् होती है :–

ऐनेक्सचर–1 के फॉर्मेट के संबंधित स्तंभ (relevant columm) में निर्वाचक सूची में वर्तमान में अंकित नाम, तथा यदि उससे संबंधित कोई शुद्धि हो, की प्रविष्टि रहती है।

एनेक्सचर–ाा में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को अपने आवंटित भाग क्षेत्र में नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/अपार्टमेंट आदि से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख करना होता है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को नवागंतुक निर्वाचकों (newly arrived electors) तथा निर्वाचक होने योग्य, परंतु छुटे हुये, व्यक्तियों से संबंधित सूचना अद्यतन करनी है **(परिशिष्ट 7.1)**

परिशिष्ट 7.1 के अंतर्गत एनक्सचर 1 में

1. परिशिष्ट 7.1 के अंतर्गत एनेक्सचर 1 में बूथ लेवल अधिकारी **(BLO)** को अपने भाग से संबंधित निर्वाचक सूची का सत्यापन (verify) करना है तथा संशोधनों का विवरण अंकित करना है। अगर किसी निर्वाचक से संबंधित कोई खास विवरण (Particular) यथा निर्वाचक का नाम, उम्र, लिंग, संबंध, गृह संख्या, ईपिक संख्या आदि, में संशोधन किया जान है तो उससे संबंधित विवरण की मूल प्रविष्टि को गोल घेर देना है (Encircle) तथा उसके नीचे संशोधन (Correction) अंकित करना है। यह कार्य लाला स्याही से किया जाना है। निर्वाचक क नाम, उपनाम, संबंध का नाम एवं गृह संख्या से एंबंधित विवरण दो भाषाओं यथा अंग्रेजी एवं राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा (Widely spoken language) में रहेगा। यह विवरण संबंधित निर्वाचक को दिखाकार सत्यापित (Verify) किया जाना है। यदि निर्वाचक को कोई विवरण गलत है, तो उसे लाल स्याही से गोल घेर कर उससे संबंधित सही विवरण उसके नीचे बने स्तंभ में अंकित कर देना है।

(i) यदि निर्वाचक का छायाचित्र सही है, तो सही का चिन्ह ($\surd$) स्तंभ–1 में अकित कर देना है। निर्वाचक का छायाख्त्रि गलत होने की दशा में क्रॉस का चिन्ह (X) चिन्ह अंकित किया जायेगा। गतत छायाचित्र होने की स्थिति में निर्वाचक से सही छायाचित्र प्राप्त कर लेना है। इसी यदि प्रविष्टि में प्रविष्ट में छायाचित्र नहीं है, तब भी सही निर्वाचक से उनका हाल का छायाचित्र प्राप्त किया जाना है।

(ii) 'ईपिक संख्या' की गलत प्रविष्ट की स्थिति में स्तंभ–3 में उस गलत प्रविष्टि को लाला स्याही से गोल घेर दिया जाना है तथा सही ईपिक संख्या अंकित कर दी जाना है।

(iii) निर्वाचक की 'जन्म' स्तंभ संख्या 3 में दिखाई जानी है। जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि निर्वाचक को दिखाकर सत्यापित की जानी है। यदि निर्वाचक की जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि गलत है, तो उसे लाल स्याही से गोल घेरकर उससे संबंधित सही विवरण नीचे के रिक्त स्थान में अंकित कर देना है। जन्म तिथि से संबंधित विवरण स्पष्ट एवं सही साक्ष्यों (specific and valid evidences) जैसे–विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, बीएलओ प्रमाण–पत्र या सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेजों से मिलान करने क उपरांत अंकित किया जाना है। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में इस स्तंभ को खाली छोड देना है (गलत एवं अनुमान आधारित सूचना बिना सत्यापन के अंकित नहीं की जानी चाहिए)।

(iv) निर्वाचक की 'गृह संख्या' से संबंधित गलत प्रविष्ट की दशा में गलत प्रविष्टि (स्तंभ–4) को लाल स्याही से घेर देना है तथा सही गृह संख्या का अंकन कर देना है।

(v) यदि निर्वाचक के 'नाम' में कोई गलती है तो उसे लाल स्याही से (स्तभं–5 में) गोल घेर देना है तथा सही विवरण अंकित कर देना है। इसके अतिरिक्त नाम में संशोधन के लिए निर्वाचक से प्ररूप–8 में आवेदन पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

(vi) यदि निर्वाचक के ''संबंध'' वाली प्रविष्ट गलत है, तो संबंधित विवरण (स्तभं–6) को लाल स्याही से गोल घेर देना है तथा सही विवरण अंकित कर देना है।

(vii) यदि निर्वाचक के 'लिग' से संबंधित प्रविष्टि गलत हो तो उसको लाल स्याही से (स्तभं–6) गोल घेर देना है तथा सही विवरण अंकित कर देना है।

(viii) निर्वाचक की 'उम्र' से संबंधित गलत प्रविष्टि की स्थिति में, प्रविष्टि को लाल स्याही से स्तभं–6 में गोल घेर देना है तथा अर्हता तिथि के आधार पर सही उम्र अंकित कर दी जानी है।

(2) स्तभं–8 में ESR (E–मृत : S–कहीं दूसरे जगह चले गये : R–दुबारा प्रविष्टि) से संबंधित विवरण अंकित किया जाना हैं इससे संबंधित निदेश निम्नवत् हैः–

(i) किसी निर्वाचक की मृत्यु से संबंधित सूचना (स्तभ–8) मृत्यु की तिथि के साथ ''मृत'' अंकित करते हुए किया जाना है। ऐसे मामलो में मृत निर्वाचक के परिवार के किसी सदस्य से प्ररूप–7 में आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है। ज्योंही प्ररूप–7 प्राप्त हो जाता है, इसका उल्लेख अभ्युक्ति स्तभं–10 में कर देना है।

(ii) जब निर्वाचक अपने भाग क्षेत्र से कहीं अन्यत्र चला गया हो तो इससे संबंधित सूचना स्तभं–8 में ''अन्यत्र चले गये'' (shifted) के रूप में अंकित की

जानी है। जहॉ तक संभव हो, वैसे निर्वाचकों के लिए प्ररूप–7 में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। यदि प्ररूप–7 प्राप्त हो जाता है, तो इसका उल्लेख अभ्युक्ति स्तभं–10 में कर देना है। निर्वाचक या तो अकेले अथवा अपने परिवार के साथ अपने भाग क्षेत्र से अन्यत्र जा सकता है। यदि निर्वाचक अपने परिवार के साथा अन्यत्र चला गया है तो स्तभं–10 में '' परिवार के साथ अन्यत्र चले गये'' (Shifetd with family) और यदि निर्वाचक अकेले अन्यत्र चला गया हो तथा परिवार के शेष सदस्य उस भाग क्षेत्र में ही रह गये हों, तो स्तंभ–10 में ही ''परिवार के बिना अन्यत्र चले गये'' (Shifetd without family) अंकित किया जाना है। सत्यापन के दौरान ही बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा अन्यत्र चले गये निर्वाचक को विहित प्ररूप में नोटिस दे दिया जायेगा। इस नोटिस पर अन्यत्र चले जाने का कारण भी अंकित होना चाहिए। निर्वाचक के अन्यत्र चले जाने के निम्नलिखित संभावित कारण हो सकतेः–

1. किरायेदार होने के कारण निवास/घर को परिवर्तित या खाली करना।
2. रोजगार के उद्देश्य से अन्यत्र चले जाना।
3. विवाह।
4. तलाक।
5. आवास परिवर्तन।
6. अन्य कारण।

(3) **(1)** यदि किसी निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में एक से अधिक बार पाया जाता है, तो स्तंभ–8 में 'दोहरी प्रविष्टि' (Repeated entry) अंकित कर दिया जाना है तथा संबंधित भाग क्षेत्र संख्या/क्रम संख्या अभ्युक्ति स्तंभ–10 में सावधानी से अंकित कर देनी है।

(2) निर्वाचक सूची में दर्शाये गये पते पर निर्वाचक के निवास करने अथवा रहने की अवधि (वर्ष में) संबंधी विवरण स्तंभ–9 में अंकित करना है।

(3) एनेक्चर–1 से संबंधित सूचना एवं विवरण सावधानी से भरे जाने है एवं इसके आधार पर सत्यापन के उपरांत ही निर्णय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (**ERO**) निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने/हटाने/संशोधन आदि क संबंध मे निर्णय लेंगें।

(4) एनेक्चर–II

(i) नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/आपर्टमेंट/कॉलोनी आदि के संबंध मेंः–

निर्वाचक सूची क संबंधित भाग क्षेत्र की भागौलिक सीमाओं के अंदर विकसित नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/आपर्टमेंट/कॉलोनी संबंधि सूचनाओं को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा सत्यापित तथा अद्यतीकृत किया जाना है। यह ध्यान रहे कि

इन नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/आपर्टमेंट/कॉलोनी से संबंधित सूचनाएं निर्वाचक सूची के किसी अन्य भाग क्षेत्र में दोबार अंकित न हो जायें।

(ii) प्रवासी निर्वाचकों का सूचीकरणः–

इस फॉर्मेट में वैसे निर्वाचक, जो बाहर से आ कर भाग क्षेत्र के नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/अपार्टमेंट/कॉलोनी में रह रहे है, का विवरण अंकित किया जाना है। यदि कोई घर पहले के निर्वाचक द्वारा खाली कर दिया गया हो तथा वहॉ नया निर्वाचक रहने के लिए आ गया हो, तो उस आशय का विवरण पूर्व के निर्वाचक के नाम विरूद्ध एनेक्चर–1 के अभ्युक्ति स्तंभ–10 में लाल स्याही से 'अन्यत्र चले गये' **(shifted)** के रूप में अंकित कर देना है।

(iii) भाग क्षेत्र में रह रही आबादी का आकलनः–

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा एक परिवार के सभी सदस्यो की संख्या एक सांख्यिकीय सूचना (sttistical information) तैयार की जानी है। इससे उस भाग क्षेत्र में रहने वाले पुरूषों की संख्या, महिलाओं की संख्या तथा कुज जनसंख्या ज्ञात हो जायेगी। इसके साथ ही परिवार के उन सदस्यों के नाम, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले हों, अलग से अंकित कर लेने है।

(5) पंजिका के एनेक्चर–II के साथ संलग्न राज्य की भाषा एवं अंग्रेजी में अंकित प्रत्येक अनुभाग का विवरण विशेष रूप से सत्यापित किया जाना है। यदि राज्या की भाषा या अंग्रेजी भाषा में अंकित अनुभाग के नाम/पता/पिन कोड में सुधार किया जाना है, यदि इसे लाल स्याही से गोल घेर कर सही विवरण नीचे रिक्त स्थान में अंकित कर देना है।

(6) सबंधित भाग क्षेत्र की जनसंख्या की सही जानकारी होने के बाद निर्वाचक : जनसंख्या अनुपात **(Electorpopulation)** पर कार्य किया जाना है। निर्वाचक जनसंख्या अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जानी हैः

$$\text{निर्वाचक –जनसंख्या अनुपात} = \frac{\text{अनुपात के कुल निर्वाचक} \times 100}{\text{भाग की कुल जनसंख्या}}$$

अर्थात यदि किसी भाग क्षेत्र के अंदर कुल जनसंख्या 1600 एवं निर्वाचको की संख्या 1000 है तो

$$\text{निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात} = \frac{1000 \text{ (भाग के कुल निर्वाचक)} \times 100}{1600 \text{ (भाग की कुल जनसंख्या)}}$$

$$= 62.5 \text{ \% होगा}$$

(7) उपर्युक्त विवरण भरने के बाद, निम्न गणना की जानी है :–

1. आयु वर्ग 18–19 में निर्वाचकों की संख्या = ...
2. आयु वर्ग 20–29 में निर्वाचकों की संख्या = ...
3. आयु वर्ग 30–39 में निर्वाचकों की संख्या = ...
4. आयु वर्ग 40–49 में निर्वाचकों की संख्या = ...
5. आयु वर्ग 50–59 में निर्वाचकों की संख्या = ...
6. आयु वर्ग 60–69 में निर्वाचकों की संख्या = ...
7. आयु वर्ग 70–79 में निर्वाचकों की संख्या = ...
8. आयु वर्ग 80–89 में निर्वाचकों की संख्या = ...
9. आयु वर्ग 90–99 में निर्वाचकों की संख्या = ...
10. आयु वर्ग 100 + में निर्वाचकों की संख्या = ...

कुल निर्वाचक = ...

अंत में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को अपना हस्ताक्षर करना है।

बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रतिवेदन

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम मे एकत्रित सूचनाओं से संबंधित प्रतिवेदन (**Statement**) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (**ERO**) को प्रस्तुत किये जाने है (**एनेक्सचर 7.2**) तथा उसे भविष्य की योजनाओं (**future strategy**) के लिये भी रखा जाना है।

अध्याय–XI

बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0)

1. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने हेतु आयोग ने मतदान/मतगणना के समय नियुक्त किये जाने वाले मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के सदृश बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) की सहायता करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बूथ स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) की अवधारणा की है। सामान्यतः निर्वाचक सूची के एक भाग के लिए एक बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) नियुक्त किया जाता है। वह संबंधित भाग क्षेत्र, जहाँ वह निवास करता है, का पंजीकृत निर्वाचक होता है।

2. जब एक बार बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) किसी खास वर्ष में निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के लिए राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, वह बाद के वर्षों के लिए भी तब तक बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) बना रहता है, जब तक उसका मनोनयन/प्राधिकरण संबंधित दल द्वारा या तो वापस नहीं ले लिया जाता अथवा बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) उस क्षेत्र का निर्वाचक नहीं रह जाता है।

3. कोई व्यक्ति जो सरकार/स्थानीय प्राधिकार/सार्वजनिक लोक उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो, बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

4. मतदान केन्द्र पर निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) द्वारा विहित प्रपत्र (प्रपत्र आई0डी0– बी0एल0ए0–2) में अपना नियुक्ति–पत्र बूथ स्तरीय अधिकारी (बी0एल0ओ0) को सौंपा जायेगा।

5. नियुक्ति पत्र के आधार पर प्राप्ति रसीद प्राप्त करने के बाद बूथ स्तरीय अधिकारी (बी0एल0ओ0) संबंधित भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) को देगा।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मुफ्त दी जानेवाली निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति ही संबंधित बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) को दी जायेगी।

7. यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा कोई बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) नियुक्त नहीं किया गया है, तो बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) द्वारा प्रारूप निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

8. बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए) किसी व्यक्ति से दावा एवं आपति प्राप्त नहीं करेगा वह सिर्फ नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं स्थानांतरित किए जाने संबंधी प्रारूपों को सही–सही भरने में लोगों की मदद करेगा।

9. दावे और आपतियां प्राप्त करने हेतु निर्धारित विशेष अभियान दिवसों को बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं (बी0एल0ए0) का भी उपस्थित रहना अपेक्षित है। बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) के साथ मिलकर निर्वाचक सूची की अशुद्वियों की पहचान करेंगे। वे घर–घर घूमकर मृत/अन्यत्र चले गये/दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों की सूची तैयार कर उसे बूथ लेवल अधिकारी को सौंप सकते हैं।

10. बूथ लेवल अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमित रूप से बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं (बी0एल0ए0) के सम्पर्क में बने रहें।

अध्याय–XII

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

1. लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 25 जनवरी, 2011 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी, जो कि आयोग का स्थापना दिवस है, को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप मनाया जाये। आयोग का उद्देश्य इस अवसर का उपयोग कर मतदाताओं के नामांकन में वृद्धि करना है, ताकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को एक सत्यता प्रदान की जा सके एवं साथ ही भारतीय लोकतंत्र की गुणवता में वृद्धि की जा सके। इस दिवस का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये मतदाताओं के बीच जागरूकता का प्रसार करने हेतु किया जाता है।

2. इस अवसर पर प्रत्येक मतदान केन्द्र में नवीनतम पुनरीक्षण के दौरान पंजीकृत नये मतदाताओं को एक संक्षिप्त समारोह में सम्मानित किया जाता है। आशा की जाती है कि इससे नये मतदाताओं में लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के लिये प्रतिबद्धता जागृत होगी जिससे अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। यह मतदान केन्द्र क्षेत्र में रह रहे अन्य योग्य निर्वाचकों हेतु स्मार–रूप भी होगा एवं उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के संबंध में उनके दायित्वों से अवगत भी करायेगा।

3. निर्वाचन आधारित लोकतंत्र के मूल्यों तथा निर्वाचनों में लोकप्रिय भागीदारी के मुद्दों पर प्रकाश डालने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश की राजधानी में एक उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

4. राज्यों में, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में, जिला निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करते हैं :–

   (i) प्रत्येक मतदान केन्द्र में बी0एल0ओ0 द्वारा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को एक संक्षिप्त समारोह/जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आयोजित जन समारोह में नये पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित स्वरूप एवं रंग–विन्यास वाले बैज का निर्धारण किया गया है जिस पर आयोग का प्रतीक चिन्ह एवं एक नारा **" मतदाता होने पर गर्व है – मतदान के लिए तैयार हूँ"** छपा होता है तथा जो बी0एल0ओ0 द्वारा नये निर्वाचकों के अलंकरण समारोह में उनके ईपिक के साथ उन्हें दिया जाता है। प्रत्येक मतदान केन्द्र क्षेत्र में ऐसा संक्षिप्त समारोह/जन समारोह आयोजित किये जाने हेतु स्थल एवं आवश्यक व्यवस्था का प्रबंध जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कराया जाता है।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायती संस्थओं, शैक्षणिक संस्थनो, सिविल सोसायटी समूहों, मीडिया इत्यादि के सहयोग से जिला मुख्यालय में उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। ताकि निवाचनों में भागीदारी को लोकप्रिय बनाया जा सकें तथा आयोजित किये जाते है ताकि निर्वाचनो में भागीदारी को लोकप्रिय बनाया जा सकें तथा मतदाता–शिक्षा में बढोतरी हो इस कार्यक्रम में स्थानीय मतदान केन्द्र क्षेत्र के नये मतदाताओं के बीच ईपिक का वितरण किया जाता है।

(iii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया, सिविल सोसायटी विचार समूहों राज्य प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग इत्यादि के सहायोग से निर्वाचन सहभागिता को लोकप्रिय बनाने तथा निर्वाचन प्रकिया के संबंध में सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इस कार्यक्रम में भी स्थनीय मतदान केन्द्र क्षेत्र के नये मतदाताओं के बीच ईपिक का वितरण किया जाता है ।

अध्याय XIII

निर्वाचक सूची की तैयारी में बूथ लेवल अधिकारी की भूमिका

1. बूथ लेवल अधिकारी के लिए अपेक्षित ज्ञान, क्षमता एवं दृष्टिकोण

- इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है और इस प्रकार आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 13 सीसी के प्रावधानों के तहत इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण में है।
- बीएलओ के रूप में अपने स्वयं के आधिकारिक कार्य के अलावा अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से अवगत होना चाहिए।
- फॉर्म 6, 6ए, 7, 8 और 8ए को ठीक से भरने का ज्ञान होना चाहिए।
- प्रपत्रों के साथ संलग्न किए जाने वाले सहायक दस्तावेजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए
- इलाके और उसमें रहने वाले परिवारों से परिचित होना चाहिए।
- क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करने का कौशल होना चाहिए और स्मार्ट फोन का उपयोग करने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर होना चाहिए और व्हाट्सएप / टेलीग्राम आदि पर एक समूह बनाना चाहिए।
- डोर टू डोर सर्वे करने का कौशल और धैर्य होना चाहिए।
- मतदाताओं और अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।
- मतदाताओं के प्रति विनम्रता
- प्रपत्रों का समय पर निपटान।
- एक बीएलओ पूरी तरह से गैर-पक्षपाती होना चाहिए
- एक बीएलओ को स्मार्ट फोन के उपयोग के साथ परिचित होना चाहिए और भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित एप्लिकेशन

यानी वोटर हेल्पलाइन, गरुड़, बूथ ऐप और ईसीआई/सीईओ द्वारा विकसित अन्य विशिष्ट ऐप पर काम करने में सक्षम होना चाहिए।

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के खातों का उपयोग / निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीईओ, डीईओ, ईआरओ के खातों का भी पालन करना चाहिए और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी / संदेशों का प्रसार / साझा करना चाहिए और मतदाताओं के साथ स्वीप सामग्री।
- सौंपे गए भाग की मतदाता सूची की जांच करने का ज्ञान होना चाहिए w.r.t. लिंग अनुपात, ईपी अनुपात, युवा नामांकन में अंतर आदि जैसे पैरामीटर।
- सभी प्रकार की त्रुटियों का ज्ञान होना चाहिए अर्थात जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियां (डीएसई) / फोटो समान प्रविष्टियां (पीएसई) / दोहराना ईपीआईसी / अन्य तार्किक त्रुटियां / शून्य फोटो / शून्य ईपीआईसी आदि और एसओपी ऐसी त्रुटियों को हटाने के संबंध में और अद्यतन करने के लिए ज्ञान होना चाहिए गरुड़ ऐप पर मतदान केंद्र की फोटो/अक्षांश/देशांतर/एएमएफ/ईएमएफ।
- अपने क्षेत्र में नियुक्त राजनीतिक दलों के बीएलए को जानना चाहिए और मतदाता सूची की गुणवत्ता/स्वास्थ्य में सुधार के लिए एसएसआर और निरंतर अद्यतन के दौरान उनके साथ नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए।
- आयोग द्वारा परिभाषित चिह्नित निर्वाचकों की पहचान करनी चाहिए जैसे सांसद/विधायक/एमएलसी, घोषित कार्यालयों के धारक, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल के क्षेत्र से व्यक्तित्व, न्यायपालिका और लोक सेवा के सदस्य आदि जो उनके आवंटित क्षेत्र में रहते हैं

और निर्वाचक नामावली में चिह्नित निर्वाचक के रूप में उनकी झंडी दिखाना सुनिश्चित करें।

- अपने आवंटित हिस्से में रहने वाले पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की पहचान करनी चाहिए और मतदाता सूची में उनका झंडा फहराना सुनिश्चित करना चाहिए।
- घर-घर जाकर या फील्ड सत्यापन के दौरान प्रदर्शित करने के लिए वैध आईडी कार्ड होना चाहिए।
- अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में ईएलसी गतिविधियों का नेतृत्व करना चाहिए।

2. महत्वपूर्ण बिंदु जो एक बीएलओ को दावा/आपत्ति प्राप्त करते समय ध्यान में रखना चाहिए

(1) प्राप्त दावे या आपत्ति के प्रत्येक आवेदन के लिए एक पावती/रसीद दी जानी चाहिए।

(2) एक पावती देने से पहले, प्रत्येक फॉर्म की प्रारंभिक जाँच की जानी चाहिए और निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

(i) फॉर्म थोक या थोक के हिस्से के रूप में जमा नहीं किया जाता है;

(ii) कोई अहस्ताक्षरित फॉर्म प्राप्त नहीं होना चाहिए। यह आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित या अंगूठे का निशान होना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। जहां दावेदार साक्षर है, उसे अपने नाम पर हस्ताक्षर करना चाहिए और न केवल लेखक द्वारा लिखे गए अपने नाम के कुछ चिह्न या प्रतीक को संलग्न करना चाहिए, और जहां दावेदार निरक्षर है, उसे अपने अंगूठे का निशान लगाना चाहिए न कि फॉर्म में कोई अन्य निशान। यह निर्धारित तरीका होने के कारण, बीएलओ को किसी भी दावे या आपत्ति को प्राप्त करने से इंकार कर देना चाहिए जो

इसे पसंद करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नहीं है या उसके अंगूठे का निशान नहीं है।

(iii) कोई कॉलम या फॉर्म में मांगी गई जानकारी को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, विशेष रूप से पिछले पते के बारे में घोषणा। जहां मांगी जा रही जानकारी ज्ञात नहीं है, वहां "ज्ञात नहीं" शब्द लिखे जाने चाहिए;

3. फॉर्म 6 को प्राप्त / जमा करते समय (गरुड़ ऐप के माध्यम से), बीएलओ को यह जांचना चाहिए कि: -

(i) एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपने निवास स्थान को स्थानांतरित करने वाले व्यक्तियों को फॉर्म 8ए में प्रवेश के स्थानान्तरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि फॉर्म 6 में।

(ii) जन्म तिथि और आयु वर्ष और महीनों में दर्शाई जानी चाहिए। जहां आवेदक को जन्म तिथि का पता नहीं है, उसे अर्हक तिथि के अनुसार कम से कम अनुमानित आयु वर्ष में दर्शानी चाहिए।

(iii) 18-21 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों के लिए, पहले से ही उसी पते पर नामांकित आवेदक के परिवार के सदस्यों के संबंध में नाम और संबंध की जांच की जानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम उम्र के आवेदक नामांकित न हों। उन्हें उम्र का कोई भी दस्तावेजी प्रमाण जैसे स्कूल/कॉलेज प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि जहां भी संभव हो, संलग्न करने के लिए कहा जा सकता है। यदि दावेदार के पास उम्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो बीएलओ को दावेदार को एक पूर्व-निर्धारण में एक घोषणा संलग्न करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।

बीएलओ को अपने बच्चे की उम्र के समर्थन में पहले से ही निर्वाचक नामावली में शामिल माता-पिता में से किसी एक द्वारा

निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 4.10) में घोषणा संलग्न करने के लिए दावेदार का मार्गदर्शन करना चाहिए।

(iv) यदि आवेदक के पास पहले से जारी किया गया एक EPIC है, तो EPIC विवरण भी फॉर्म 6 में दर्ज किया जाना चाहिए। उस स्थिति में, उसे EPIC की फोटोकॉपी भी प्रदान करनी चाहिए। 21+ आयु वर्ग के गैर एपिक धारकों को निर्धारित प्रारूप में घोषणा देनी चाहिए (अनुलग्नक 9.1)

(v) फॉर्म 6 के कॉलम (एच) में, साधारण निवास का पूरा पता जहां आवेदक नामांकित होना चाहता है, दिया जाना है। आवेदक को बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, टेलीफोन/बिजली/पानी के बिल आदि जैसे किसी भी दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करने की सलाह दी जा सकती है। किसी भी दस्तावेज की अनुपलब्धता के मामले में बीएलओ आवेदन प्राप्त कर सकता है और उस पर "कोई दस्तावेज संलग्न नहीं" रिकॉर्ड कर सकता है।

(vi) जिन मामलों में आवेदक उस पते पर लंबे समय तक रहने की अवधि का उल्लेख करता है, एक वर्ष या उससे अधिक, तो जिन परिस्थितियों के कारण उसने नामांकन के लिए आवेदन नहीं किया था, उसका पता लगाया जाना चाहिए और आवेदन पत्र पर दर्ज किया जाना चाहिए।

(vii) आवेदक को पिछले नामांकन का पूरा विवरण फॉर्म -6 का (घोषणा का भाग IV) भरना होगा। हालांकि, मतदाता क्रमांक, भाग संख्या और निर्वाचन क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करने में विफलता, यदि ज्ञात नहीं है, तो आवेदनों को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा, यदि पिछला पता पूरी तरह से दिया गया है। हालाँकि, पिछला पता पूरी तरह से प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आवेदन प्राप्त

नहीं किया जाएगा। यदि व्यक्ति लंबे समय से एक स्थान पर रह रहा है और उसने अपना निवास बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसके पास मतदाता विवरण नहीं है, तो उस व्यक्ति को पिछले पते के लिए दिए गए स्थान में पूरा वर्तमान पता भरने की सलाह दी जानी चाहिए। ईपीआईसी नंबर, यदि जारी किया गया है, तो फॉर्म -6 के आइटम नंबर जे पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

(viii) प्रारंभिक जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह देखना है कि फॉर्म -6 के अंत में घोषणा सभी प्रकार से पूर्ण है। 21+ आयु के आवेदकों से, सामान्य निवास का पिछला पता प्राप्त किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस खोज की जानी चाहिए कि आवेदक पहले से कहीं और नामांकित नहीं है और नाम शामिल होने के बाद उसका नाम दूसरी जगह की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान स्थान में।

(ix) आवेदक, यदि वह सेवा कर्मी है, तो उसे अपने मूल स्थान की मतदाता सूची के अंतिम भाग में सेवा निर्वाचक के रूप में अपना नाम शामिल न करने संबंधी अतिरिक्त घोषणा संलग्न करनी होगी।

(x) परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्यों को चुनावी अपराधों के बारे में कानूनी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए जैसे कि गलत जानकारी और परिणाम प्रस्तुत करना।

(xi) यदि बीएलओ को पहली बार मिलने पर घर में ताला लगा मिलता है, तो उसे अलग-अलग मौकों पर या रात में जब काम करने वाले लोग अपने घर पर उपलब्ध हों, फिर से दौरा करना चाहिए।

(xii) बीएलओ को अपने बीएलओ रजिस्टर में नियमित रूप से और सही तरीके से रिकॉर्ड रखना चाहिए।

(xiii) बीएलओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे सौंपे गए हिस्से में नई विकसित कॉलोनियों जैसा कोई क्षेत्र छूट न जाए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वह उस क्षेत्र का एक नज़र नक्ष तैयार कर सकता है और उसके अनुसार अपने दौरे की योजना बना सकता है।

(4) विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों का नामांकन

क) कम उम्र के व्यक्ति। निर्वाचक नामावली में अपात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया पर पूरी तरह से रखी जा सकती है, जिनके हस्ताक्षर घर-घर की गणना के दौरान गणना कार्ड के रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं। एक व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि नामावली तैयार करते समय परिवार के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपात्र व्यक्तियों को पांडुलिपि में दर्ज किया गया है, तो इसे ईआरओ के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि इसके तहत उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जा सके। उन परिवारों के मुखिया के खिलाफ उपरोक्त प्रावधान।

ख) अनाथ: यदि एक अनाथ अनाथालय में बचपन से लाया गया है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए पात्र हो जाता है और अपने पिता या माता के नाम देने की स्थिति में नहीं है, ऐसे नाम व्यक्तियों, यदि पात्र हैं, को बीएलओ द्वारा निर्वाचक कार्ड में दर्ज किया जाएगा और पिता/माता/पति के नाम के कॉलम के तहत बीएलओ अनाथालय के नाम का उल्लेख करेगा। यदि अनाथ का पालन-पोषण किसी अनाथालय में न होकर किसी परिवार में हुआ हो तो बीएलओ उस परिवार के मुखिया का नाम लिखेगा। एक अनाथ के मामले में जिसे एक परिवार द्वारा

कानूनी रूप से गोद लिया गया है, उस अनाथ को गोद लेने वाले पिता/माता का नाम इंगित किया जाना चाहिए। उन मामलों में जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, बीएलओ को "ज्ञात नहीं" दर्ज करना होगा। मतदाता सूची के संबंध कॉलम में 'अन्य' शब्द दर्शाया जाएगा।

ग) बेघर व्यक्ति: बीएलओ रात में फॉर्म 6 में दिए गए पते पर जाकर यह पता लगाएगा कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर सोता है जो फॉर्म 6 में उसके पते के रूप में दिया गया है। यदि बीएलओ यह सत्यापित करने में सक्षम है कि बेघर व्यक्ति वास्तव में है उस स्थान पर सोता है, निवास स्थान का कोई दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक नहीं होगा। इस तरह के सत्यापन के लिए बीएलओ को एक रात से अधिक समय तक अवश्य आना चाहिए।

डी) छात्रावास/लॉज में रहने वाले छात्र: गहन पुनरीक्षण के दौरान, जब नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक नई गणना का आदेश दिया जाता है, तो बीएलओ अन्य सदस्यों द्वारा घोषणा के आधार पर अपने अभिभावकों से दूर रहने वाले किसी भी छात्र के नाम की गणना नहीं करेंगे। गृहस्ति। गहन पुनरीक्षण के दौरान उनके छात्रावासों में उनकी गणना नहीं की जाएगी, लेकिन निर्धारित प्रारूप में वास्तविक छात्र और निवासी होने के प्रमाण पत्र के साथ प्रपत्र 6 में आवेदन करने पर छात्रावास/आवास में मतदाता के रूप में नामांकित किया जा सकता है।

(5) सामान्य निवास के कारण किसी भी नाम को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, जैसे कि विधिवत भरे हुए फॉर्म 7 प्राप्त किए बिना, आयोग द्वारा पत्र संख्या 23/2021-ईआरएस दिनांकित आयोग द्वारा स्पष्ट किए गए स्व-प्रेरणा मामलों को छोड़कर, रोल से हटाया नहीं जाना चाहिए। 13 सितंबर, 2021। यदि आपत्तिकर्ता के साथ-साथ आपत्ति करने वाले व्यक्ति

का पूरा विवरण और आपत्तियों के कारणों को उचित कॉलम में नहीं भरा जाता है, तो फॉर्म 7 प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। फॉर्म 7 में आपत्तिकर्ता को उससे संबंधित रोल में प्रविष्टि का पूरा विवरण देने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जब भी यह संतुष्ट नहीं होता है, तो नियम 17 के तहत आपत्ति प्राप्त करने से इंकार कर दिया जा सकता है। फॉर्म -7 उसी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

(6) सुधार के लिए फॉर्म 8 में सभी आवेदनों में आइटम ई में सही की जाने वाली प्रविष्टियों के सटीक विवरण का उल्लेख होना चाहिए। यदि विवरण का संकेत नहीं दिया जाता है, तो फॉर्म को प्राप्त करने से मना किया जा सकता है। शामिल किए जाने के लिए मांगे गए सुधारों के लिए आवेदक को सहायक दस्तावेज संलग्न करने की सलाह दी जानी चाहिए।

3. प्राप्त प्रपत्रों की हैंडलिंग

प्रत्येक बीएलओ दो प्रतियों में प्रपत्र 9 में दावों की एक सूची (अनुलग्नक 4.6 में प्रारूप), प्रपत्र 10 में नामों को शामिल करने पर आपत्तियों की एक सूची (अनुलग्नक 4.7 में प्रारूप), प्रपत्र 11 में विवरण पर आपत्तियों की एक सूची तैयार करेगा। (अनुलग्नक 4.8 में प्रारूप) और प्रपत्र 11क में स्थानान्तरण आवेदनों की सूची (अनुलग्नक 4.9 में प्रारूप)।

बीएलओ उसके द्वारा प्राप्त प्रपत्रों के लिए ऐसी सूचियां तैयार करेगा और क्षेत्र के लिए बीएलओ के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा। नामित अधिकारी को 4 सूचियों में से प्रत्येक की एक प्रति अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर सीधे उसके द्वारा प्राप्त प्रपत्रों के लिए और बीएलओ द्वारा प्राप्त प्रपत्रों के लिए प्रदर्शित करना चाहिए। आरईआर 1960 के नियम 15 के प्रावधानों के तहत ऐसी सूचियों का रखरखाव अनिवार्य है। वह इसे ईआरओ को भेजेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्राप्त प्रपत्र 6, 7, 8 और 8ए के

संबंध में मतदाता केंद्रों/ईआरओ कार्यालय में ईआरओनेट के माध्यम से फॉर्म - 9, 10, 11 और 11 ए की संकलित सूची तैयार की जाती है।

4. मतदाता फोटो पहचान पत्र का वितरण

भारत के चुनाव आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में ईपीआईसी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही वितरित किया जाना है।

5. बीएलए के साथ समन्वय

अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में, बीएलओ स्थानीय बीएलए की सहायता ले सकता है। वह बीएलए के साथ बैठ सकता है और ड्राफ्ट रोल को पढ़ सकता है और सुधारों की पहचान कर सकता है। बीएलए की अच्छी सेवाओं के साथ, बीएलओ नए पात्र मतदाताओं को पंजीकरण के लिए आगे आने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। बूथ स्तर के एजेंट घर-घर सर्वेक्षण या किसी अन्य माध्यम से मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची बना सकते हैं और निर्धारित प्रारूप (अनुबंध 9.2 और 9.3) में नामित अधिकारियों / बूथ स्तर के अधिकारियों को सूची प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें यह वचन देना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी उनके द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर है और वे गलत घोषणा, यदि कोई हो, के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के एजेंट को एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है। बूथ स्तर का एजेंट संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी को आवेदन पत्र की सूची और एक लिखित घोषणा के साथ फॉर्म जमा करेगा कि उसने संलग्न आवेदन पत्र में निहित विवरणों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया है और संतुष्ट है कि वह सही है। यदि बूथ स्तर का एजेंट सारांश पुनरीक्षण की पूरी अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है, तो संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से

क्रॉस सत्यापन किया जाना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर के एजेंटों की नियुक्ति नहीं की है, वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान थोक में आवेदन दाखिल नहीं कर सकते हैं।

6. ड्राफ्ट रोल के सत्यापन में ग्राम/वार्ड सभाओं/आरडब्ल्यूए का प्रयोग

निर्धारित तिथियों पर बीएलओ ग्राम/वार्ड सभाओं में संबंधित भाग की प्रविष्टियों को पढ़ सकता है। ग्राम समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से बुजुर्ग, वार्ड सदस्य और जो पिछले ग्राम सभा चुनाव लड़े थे, लेकिन निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें ऐसी बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में बीएलओ पंजीकरण के लिए आरडब्ल्यूए के साथ संपर्क कर सकता है। नगर निगम बोर्डों, नगर क्षेत्र समितियों, छावनी बोर्डों, मोहल्ला सुधार समिति, की विशेष रूप से बुलाई गई वार्ड बैठकों में इस सूची को पढ़ा जा सकता है।

जे.जे. सुधार समितियाँ आदि। ऐसी सभाओं में उपस्थित लोगों के सहयोग और सहयोग से बीएलओ खुद को इलाके और निवासियों से परिचित करा सकता है।

7. एनवीडी कार्यक्रमों का संचालन

बीएलओ को ईआरओ की देखरेख में अपने बूथ क्षेत्र में एनवीडी समारोह की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं और नए पात्र मतदाताओं को बड़ी संख्या में ऐसे समारोहों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन अवसरों पर, वह एनवीडी शपथ दिलाएंगे और नागरिकों को मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने और चुनाव के दौरान अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। बीएलओ नए नामांकित मतदाताओं के बीच नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद, ईपीआईसी का वितरण आदि कर सकता है।

8. बीएलओ द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन

(i) बीएलओ को यह ध्यान रखना होगा कि उनके कार्य/प्रदर्शन का मूल्यांकन सीईओ/डीईओ/ईआरओ/एयरो द्वारा समय-समय पर यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) चूंकि बीएलओ अपने नियमित विभागीय कार्य भी साथ-साथ करेंगे, उनके द्वारा किए गए चुनाव संबंधी कार्यों के मूल्यांकन की प्रकृति सामान्य रूप से यादृच्छिक होगी न कि अचानक/आश्चर्यजनक रूप से। ऐसे सभी अधिकारी जो मूल्यांकन के सत्यापन के लिए अधिकृत हैं, वे बीएलओ को अपने कार्यक्रम के सत्यापन के लिए अग्रिम रूप से सूचित करेंगे ताकि सत्यापन के दौरान बीएलओ साइट पर उपलब्ध रहे।

(iii) बीएलओ द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए सत्यापन अधिकारी द्वारा एक चेकलिस्ट (अनुलग्नक 9.4) में किया जाएगा।

8. **डीईओ/ईआरओ/एईआरओ द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य:** बीएलओ को भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्वाचक नामावली से संबंधित कोई अन्य कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे उन्हें करना होगा। .

अध्याय XIV

संशोधन पूर्व गतिविधियां

चुनाव आयोग शुद्ध और त्रुटि मुक्त मतदाता सूची बनाने पर पूरा जोर देता है। मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है - निरंतर अद्यतनीकरण, पूर्व-संशोधन गतिविधियाँ और पुनरीक्षण प्रक्रिया। एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में नामांकन करने की अंतिम तिथि और उक्त चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच की अवधि को छोड़कर, एक मतदाता सूची पूरे वर्ष अद्यतन और तैयारी की स्थिति में बनी रहती है। उस अवधि के दौरान भी दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, हालांकि उन्हें चुनाव के समापन के बाद ही निपटाया जा सकता है। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण और निरंतर अद्यतनीकरण का चक्र नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है:-

मतदाता पंजीकरण चक्र

अच्छी गुणवत्ता वाली मतदाता सूची प्राप्त करने के उद्देश्य से, पूर्व-संशोधन गतिविधियों को अब संशोधन गतिविधियों के समान महत्व दिया जाता है। पूर्व-संशोधन गतिविधियाँ मतदाता सूची के सारांश संशोधन से कम से कम 2 महीने पहले शुरू की जाती हैं ताकि बीएलओ को अपनी प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कुछ प्राथमिक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. **जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों को हटाना:**
    - जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियां (डीएसई) वे प्रविष्टियां होंगी जो नाम, संबंध का नाम, संबंध प्रकार, आयु, लिंग के संबंध में समान हैं। इन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी एसओपी (अनुबंध 10.1 में मानक संचालन प्रक्रिया) के अनुसार निपटाया जाना है।

- डीएसई राजनीतिक दलों द्वारा या बीएलओ के निष्कर्षों के माध्यम से उत्पन्न या रिपोर्ट किए गए सिस्टम हो सकते हैं।
- पांच क्षेत्रों के अलावा, यदि पता भी समान है तो नवीनतम प्रविष्टि को बरकरार रखा जाएगा और अन्य सभी एकाधिक प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा। यदि पता मेल नहीं खाता है लेकिन अन्य सभी फ़ील्ड समान हैं तो नाम एक ही स्थान पर रखा जाएगा जैसा कि निर्वाचक द्वारा चुना गया है। इस संबंध में नोटिस निर्वाचक को जारी किया जाना चाहिए (अनुबंध 10.1 में दिया गया प्रारूप ए)।
- निर्वाचक के दिए गए पते पर नहीं रहने के संबंध में सूचना प्रपत्र 7 सहित किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जा सकती है। उस स्थिति में प्रारूप बी (अनुलग्नक 10.2) में नोटिस जारी किया जाना है। यदि मतदाता जवाब देता है या यदि वह नहीं आता है, तो दोनों में से कोई भी परिदृश्य, ईआरओ फॉर्म 7 के निपटान के मामले पर निर्णय लेगा और तदनुसार नाम मतदाता सूची में रखने या उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसे हटाने के लिए कार्य करेगा।

2. बार-बार होने वाले एपिक को हटाना:

- समान एपिक संख्या वाले मतदाताओं के मामले में। विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत होने पर निर्वाचक नामावली में केवल एक प्रविष्टि रखी जानी है और अन्य सभी बहु प्रविष्टियाँ विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए हटा दी जाएँगी।
- समान EPIC नंबर वाले कई मतदाताओं के लिए, EPIC no. पहले निर्वाचक को जारी किया गया जारी रखा जाएगा और अन्य सभी निर्वाचकों को नए EPIC नंबरों के साथ नया EPIC दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, जहां ईपीआईसी नंबरों की आवंटन तिथि का पता लगाना संभव नहीं है, युवा मतदाताओं के ईपीआईसी को बदल दिया जाएगा और उन्हें नया ईपीआईसी नंबर दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से

पुराने ईपीआईसी को प्रक्रिया के अनुसार एकत्र और नष्ट किया जाना चाहिए। उचित रिकॉर्ड रखने के बाद।

- यह देखा गया है कि बार-बार ईपीआईसी ज्यादातर स्थानांतरित मतदाताओं से उत्पन्न होते हैं और इसलिए भारत के चुनाव आयोग ने स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एक एसओपी (अनुबंध 10.2 में दिया गया) जारी किया है।
- स्थानांतरित निर्वाचक (जब फॉर्म-6 के घोषणा भाग में पिछला पता और पिछला ईपीआईसी नंबर दिया गया हो): जैसा कि मतदाता ने खुद पिछले पते का खुलासा किया है या पिछला ईपीआईसी नंबर दिया है और ईआरओ दिए गए ईपीआईसी के आधार पर अपना पता खोजने में सक्षम है। नहीं, पिछले ईआरओ द्वारा अनिवार्य फील्ड सत्यापन के बिना, लेकिन मतदाता को 7 दिनों का नोटिस देने के बाद (ई-मेल या एसएमएस और स्पीड पोस्ट द्वारा) सार्वजनिक नोटिस के अलावा, पिछले पते से उसका नाम स्वतः हटा दिया जाना चाहिए। ईआरओ के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ सीईओ की वेबसाइट पर ऑटो प्रकाशन। हटाने की सूचना फिर से पिछले पते पर भेजी जाएगी a. साथ ही स्पीड पोस्ट द्वारा नए पते पर।
- दिए गए पते पर नहीं रहने वाले निर्वाचकों की सूचना किसी भी स्रोत से आ सकती है, जिसमें फॉर्म -7 के माध्यम से या किसी भी रिपोर्ट/सूचना से कॉलोनी के विध्वंस/अनधिकृत निपटान या रक्षा इकाइयों/श्रमिकों के स्थानांतरण के कारण मतदाताओं के बड़े पैमाने पर प्रवास के संबंध में सूचना मिल सकती है। प्रत्येक मामले में, प्रारूप-बी (अनुलग्नक 10.2) में नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए जिसमें एडी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। यदि मतदाता जवाब देता है या यदि वह नहीं आता है, तो दोनों में से कोई भी परिदृश्य, ईआरओ फॉर्म 7 के निपटान के मामले

पर निर्णय लेगा और तदनुसार नाम मतदाता सूची में रखने या उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसे हटाने के लिए कार्य करेगा।

3. मृत मतदाताओं को हटाना:

- मृत निर्वाचकों के नाम को हटाने का कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसओपी (अनुलग्नक 10.3) के अनुसार किया जाना चाहिए।
- मृत मतदाता को स्वप्रेरणा से किया जा सकता है (बिना फॉर्म -7 / बिना आगे की पूछताछ के), यदि पहचान मृत्यु प्रमाण पत्र के संदर्भ में या निम्नलिखित के आधार पर क्षेत्र सत्यापन के बाद स्थापित की जाती है:
  - ए) बीएलओ द्वारा प्राप्त या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सक्षम प्राधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र, या
  - बी) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के डेटाबेस से एकत्रित मृत मतदाताओं की सूची।
- इसलिए बीएलओ को अपने मतदान केंद्रों की मतदाता सूची का सत्यापन करना चाहिए और मृत मतदाताओं की जानकारी घर-घर जाकर, मृत्यु और जन्म के स्थानीय रजिस्ट्रार और अन्य स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए।
- हटाने के लिए सामान्य प्रक्रिया (स्व-प्रेरणा के अलावा) - संबंधित मतदान केंद्र के परिवार के सदस्य या स्थानीय निर्वाचक या बीएलओ से फॉर्म -7 के साथ संबंधित बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर। निर्धारित 7 दिनों की नोटिस अवधि के लिए व्यक्तिगत फॉर्म ईआरओ के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि ईआरओ फॉर्म -7 में आपत्ति की वैधता के बारे में संतुष्ट है, तो वह 7 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद आगे की जांच के

बिना इसे अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं होता है, तो वह आपत्तिकर्ता को और आपत्ति करने वाले व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्ति के आवास पर चिपकाकर सुनवाई की सूचना देगा। आपत्ति के संबंध में आपत्ति की जांच के बाद, ईआरओ उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए फॉर्म -7 का निपटान करेगा।

4. तार्किक त्रुटियों को हटाना:

- ई-रोल से इसे हटाने के लिए सिस्टम जनित तार्किक त्रुटियों को दूर करने का काम किया जाना चाहिए।
- कुछ संभावित तार्किक त्रुटियां हैं:
  - लिंग 'पुरुष' और 'संबंध' प्रकार पति
    संबंध प्रकार 'एफ', 'एम', 'एच', 'अन्य' के अलावा अन्य है

5. मतदान केंद्रों का युक्तिकरण: मतदान केंद्र क्षेत्र को समय-समय पर युक्तिकरण की आवश्यकता हो सकती है। निर्वाचकों की लगातार बढ़ती संख्या और मौजूदा भवनों की स्थिति में गिरावट, इलाके में उपयुक्त नए भवनों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की स्थिति आदि जैसे विभिन्न अन्य विकासों के मद्देनजर मौजूदा मतदान केंद्र की आवश्यकता हो सकती है समय-समय पर समीक्षा की जाए। उस स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईआरओ/एईआरओ के माध्यम से अभ्यास किया जाना है। बीएलओ स्थानीय स्तर पर इनपुट प्रदान करके मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

6. नामावली में घोषित पद धारण करने वाले व्यक्तियों, सांसदों और विधायकों के नामों की जांच करना।

7. घर-घर (H2H) सर्वेक्षण और बीएलओ रजिस्टर का अद्यतनीकरण:

- जब भी निर्देश दिया जाता है, बीएलओ रजिस्टर का उपयोग करते हुए, एक बीएलओ को घर/क्षेत्र के दौरों के माध्यम से उसे सौंपे गए भाग के रोल का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता होती है,
- दौरे के दौरान, परिवार के सदस्यों से प्रश्न पूछकर, बीएलओ प्रविष्टियों को सत्यापित करते हैं, गलत होने पर उसे सही करते हैं, शेष मतदाताओं की तस्वीर/अस्पष्ट तस्वीरें एकत्र करते हैं, ईपीआईसी संख्या नोट करते हैं, यदि पहले से जारी है लेकिन प्रासंगिक कॉलम में परिलक्षित नहीं है, तो नोट करें। पात्र व्यक्तियों के नाम नीचे लेकिन शामिल नहीं हैं, निर्वाचक मृत, स्थानांतरित, डुप्लिकेट आदि पाए जाते हैं, पूछें कि क्या परिवार का कोई सदस्य विदेश में है, खाली उपयुक्त फॉर्म दें और उन्हें भरने में सहायता करें आदि।

8. डीईओ/ईआरओ/एईआरओ द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य: बीएलओ को भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्वाचक नामावली से संबंधित कोई अन्य कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे उन्हें करना होगा। .

अध्याय XV

मतदान पूर्व और मतदान दिवस बीएलओ की जिम्मेदारियां

मतदाता सूची प्रबंधन में गतिविधियों के अलावा, भारत का चुनाव आयोग चुनाव संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में बीएलओ पर कुछ जिम्मेदारियां रखता है। गतिविधियों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात चुनाव पूर्व गतिविधियाँ और मतदान दिवस गतिविधियाँ। गतिविधियों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. चुनाव पूर्व गतिविधियां

1. बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) का वितरण:

- मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) में मतदान केंद्र, मतदान की तारीख और समय आदि जैसी जानकारी शामिल होती है, लेकिन मतदाता की तस्वीर नहीं।
- आरओ बीएलओ द्वारा वीआईएस के वितरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा।
- इस अनुसूची की एक प्रति राजनीतिक दलों, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) को आरओ द्वारा दी जाएगी, यदि वे नियुक्त किए गए हैं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके एजेंट, पावती के तहत, बहुत पहले और बीएलओ को चाहिए उसका पालन करो।
- प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) का केवल एक (1) सेट मुद्रित किया जाएगा, जिसे ईआरओ द्वारा विधिवत प्रमाणित

किया जाएगा, ताकि बीएलओ के माध्यम से वितरण किया जा सके।

- मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के मूल हस्ताक्षर के तहत जारी की जानी चाहिए।
- वीआईएस का थोक वितरण बीएलओ द्वारा नहीं किया जाएगा।
- बीएलओ या तो मतदाता को या मतदाता के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को, जो स्वयं मतदाता है, वीआईएस देगा।
- मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त करने की पावती के रूप में बीएलओ उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, जिसे वीआईएस दिया गया है।
- इस अनुसूची की एक प्रति राजनीतिक दलों, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) को आरओ द्वारा दी जाएगी, यदि वे नियुक्त किए गए हैं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके एजेंट, पावती के तहत, बहुत पहले और बीएलओ को चाहिए उसका पालन करो।
- वीआईएस के वितरण के दौरान बीएलओ को पूर्ण तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।
- वितरण मतदान की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले पूरा किया जाना चाहिए।
- सभी अवितरित वीआईएस बीएलओ द्वारा संबंधित ईआरओ को लौटा दिए जाएंगे, जो इसे सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।
- ईआरओ को वापस करने के बाद वीआईएस का कोई और वितरण नहीं किया जाएगा।

- ईआरओ प्रत्येक भाग/मतदान केंद्र के संबंध में अवितरित पीवीएस की वर्णमाला सूची बनाएगा।
- वर्णमाला सूची की दो प्रतियां निर्वाचन क्षेत्र के आरओ को सौंपी जाएंगी।
- हालांकि, इस वीआईएस को मतदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत (एएसडी) मतदाताओं की सूची तैयार करना:

- अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए, जिनके नाम मतदाता सूची में जारी हैं, ऐसे मतदाताओं की सूची (एएसडी सूची) बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) के वितरण के दौरान मतदान केंद्रवार तैयार की जाती है।

- सूची संबंधित पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। यदि एएसडी सूची में सूचीबद्ध कोई व्यक्ति मतदान के लिए आता है, तो व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देने से पहले उसकी पहचान पीठासीन अधिकारी द्वारा पूरी तरह से सत्यापित की जाएगी।

- सूची का उपयोग महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों की पहचान के लिए भी किया जाता है।

3. वोट गाइड का वितरण

- वीआईएस वितरित करते समय बीएलओ मतदाताओं को मतदाता मार्गदर्शिका भी वितरित करेंगे। मतदाता मार्गदर्शिका मतदाताओं को मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी, मतदान केंद्रों पर

उपलब्ध सुविधाओं और मतदाताओं के लिए मतदान के दिन क्या करें और क्या न करें, की जानकारी में मदद करती है। .

4. अनुपस्थित मतदाता द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान

- अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को पोस्टल बैलेट (पीबी) पेपर के माध्यम से मतदान की वैकल्पिक सुविधा दी गई है:

  (i) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु) [एवीएससी],

  (ii) निर्वाचक नामावली [एवीपीडी] में निःशक्त व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है,

  (iv) COVID-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति [AVCO], AND

  (iv) आवश्यक सेवा (एवीईएस) (ईसीआई द्वारा अधिसूचित किया जाना)

  [पीटी में बीएलओ की भूमिका है। मैं, ii और iii ऊपर लेकिन iv में नहीं]

- एक अनुपस्थित मतदाता जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करना चाहता है, उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को फॉर्म -12 डी में आवेदन करना होगा, जिसमें चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर पांच दिनों तक की अवधि के दौरान सभी आवश्यक विवरण दिए जाएंगे। संबंधित चुनाव की अधिसूचना के संबंध में।

- बीएलओ मतदान केंद्र क्षेत्र में आरओ द्वारा प्रदान किए गए अनुसार संबंधित मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित मतदाताओं को फॉर्म- 12-डी फॉर्म वितरित करेंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे।
- बीएलओ निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावती आरओ को जमा करेगा।
- यदि कोई मतदाता उपलब्ध नहीं है, तो बीएलओ उसके संपर्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर उसे लेने के लिए फिर से आएगा।
- मतदाता फॉर्म 12-डी के साथ संलग्न पावती में पोस्टल बैलट का विकल्प चुन सकता है या नहीं भी चुन सकता है। यदि वह पोस्टल बैलट का विकल्प चुनता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरे हुए फॉर्म -12 डी को एकत्र करेगा और इसे तुरंत आरओ के पास जमा कर देगा।
- पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं के मामले में, जो डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं, आवेदकों के साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति होनी चाहिए।
- आरओ 3 श्रेणियों में सभी अनुपस्थित मतदाताओं की सूची तैयार करेगा, अर्थात (ए) 'एवीएससी', (बी) 'एवीपीडी' और (सी) 'एवीसीओ', जिनके आवेदन समय पर प्राप्त हुए हैं और क्रम में हैं।
- डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा के लिए मतदान अधिकारियों की एक टीम फॉर्म 12डी में उनके आवेदन में उल्लिखित पते पर मतदाताओं का दौरा करेगी।

- चुनाव अधिकारियों की अलग-अलग टीम, जिसमें दो अधिकारी शामिल हों, जिनमें से कम से कम एक नियुक्त अधिकारी के पद/स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए

  राज्य में मतदान केंद्र के लिए मतदान अधिकारी के रूप में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

- मतदान अधिकारियों के दौरे की तिथि और अनुमानित समय के बारे में मतदाताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। ऐसी सूचना एसएमएस/पोस्ट/बीएलओ के माध्यम से दी जा सकती है।

- उम्मीदवारों को इस श्रेणी के लिए डाक मतपत्रों के वितरण और संग्रह के लिए यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि वे चाहें, तो प्रक्रिया को देखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना के साथ अपने अधिकृत प्रतिनिधियों (बीएलए सहित) को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

- डाक मतपत्र जारी करने से पहले आने वाले मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे।

- डाक मतपत्र पर वोट डाले जाने और प्रपत्र 13सी में लिफाफा तैयार होने के बाद, मतदान अधिकारी इसे एकत्र करेंगे।

- त्येक दिन के अंत में, अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा पोस्टल वोटिंग के लिए नामित एआरओ द्वारा डाक मतपत्र आदि वाले लिफाफे और मतपत्रों के काउंटरफॉइल को फॉर्म-13 सी में एकत्र किया जाएगा।

- एआरओ उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उन्हें आरओ के मुख्यालय पर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।

B. मतदान-दिवस की गतिविधियाँ

1. हेल्प डेस्क / मतदाता सहायता बूथ

- मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान के दिन "मतदाता सहायता बूथ" पर बीएलओ के उपयोग के लिए वर्णानुक्रम में भाग-वार रोल, अधिमानतः अंग्रेजी में तैयार किया जाता है।
- यदि आवश्यक हो तो मतदान के दिन मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों का पता लगाने के लिए बीएलओ मार्गदर्शन करेंगे।

2. मतदान प्रक्रिया पर एक सिंहावलोकन

- मतदान से पहले मतदाताओं को इसके बारे में जागरूक करने के लिए बीएलओ को विशेष रूप से COVID प्रबंधन प्रोटोकॉल के तहत मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करना चाहिए।

अध्याय - XVI

आईटी अनुप्रयोग

चुनाव आयोग ने विशाल चुनावी डेटा बेस के प्रबंधन और निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ आईटी एप्लिकेशन विकसित किए हैं। यह अध्याय यह इंगित करने का प्रयास करता है कि आईटी कैसे नागरिकों और ईआरओ के बीच तेजी से संचार स्थापित करके पूरे देश में मतदाता सूची प्रबंधन का समर्थन करता है, डीईओ को निगरानी में मदद करता है, सीईओ को प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण में मदद करता है और भारत के चुनाव आयोग को समग्र प्रक्रिया की निगरानी में मदद करता है। और मतदाता जनसंख्या अनुपात (ईपी अनुपात) और विभिन्न अन्य मापदंडों के संदर्भ में मतदाता सूची का स्वास्थ्य।

ERO-NET

2017 में, ERONET नाम की एक वेब आधारित प्रणाली, चुनावी पंजीकरण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को ऑनलाइन / ऑफलाइन प्राप्त दावों और आपत्तियों को संसाधित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। यह चुनाव से चुनाव मशीनरी के सभी अधिकारियों का एक पूर्ण और मूर्खतापूर्ण नेटवर्क है चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए पूरे देश में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को आयोग। ईआरओ नेट एक वेब आधारित प्रणाली है जो नागरिकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की स्थिति के संबंध में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करती है।

ईआरओ नेट के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:

1 दावों और आपत्तियों का प्रसंस्करण -

(i) समग्र प्रसंस्करण के लिए डैशबोर्ड देखें

(ii) दावों और आपत्तियों का डिजिटलीकरण और स्कैनिंग

(iii) भाग संख्या और बीएलओ का असाइनमेंट

(iv) फील्ड सत्यापन के लिए चेकलिस्ट तैयार करना

(v) क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट की डेटा प्रविष्टि

(vi) निर्वाचकों/आपत्तिकर्ताओं के साथ सुनवाई की तिथि का निर्धारण या क्षेत्र सत्यापन

(vii) पिछले एसी के ईआरओ से रिपोर्ट प्राप्त करना

(viii) संभावित पुनरावृति प्रविष्टियों के परिणाम को संबंधित ईआरओ के साथ साझा करना।

(ix) ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय - 'फॉर्म स्वीकार करें' / 'फॉर्म अस्वीकार करें'

2 मतदाता सूची का रखरखाव

(i) जोड़ और ईपीआईसी पीढ़ी

(ii) प्रवासन (पते का स्थानांतरण)

(iii) हटाना

(iv) संशोधन

(v) दावों और आपत्तियों और एमआईएस प्रारूपों की सूची तैयार करना (प्रारूप 1 - 8)

3 मतदान केंद्र प्रबंधन

(i) मतदान केंद्रों का जीआईएस स्थान

(ii) जीआईएस पर भाग और खंड की सीमाएं

(iii) भाग और खंड अनुकूलन

(iv) एएमएफ मैपिंग

प्रपत्र प्रसंस्करण (प्रक्रिया)

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल -

एनवीएसपी के माध्यम से, एक उपयोगकर्ता विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है और एक्सेस कर सकता है जैसे कि मतदाता सूची को देखना और डाउनलोड करना, एक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करना, विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण करना, ईरोल में विलोपन या आपत्ति के लिए आवेदन करना, मतदाता विवरण में सुधार, विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण, प्रवासन एक और एसी और उनके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें। NVSP के माध्यम से eEPIC को भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र, बूथ स्तर के अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं।

मतदाता पोर्टल -

मतदाता पोर्टल एक एकीकृत मतदाता पोर्टल है जिसे आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। नागरिक को एक ही फॉर्म भरने की जरूरत है और मतदाता पोर्टल समझदारी से फॉर्म जमा करने के प्रकार को पहचान लेगा और इसे प्रोसेसिंग के

लिए ERONET को भेज देगा। यह पोर्टल सभी रूपों और शिकायतों का एक एकीकृत दृश्य प्रदान करता है, इस प्रकार यह वास्तव में सभी मतदाता सेवाओं के लिए एक स्थान बनाता है।

वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप (वीएचए) –

मतदाता संबंधी सभी सेवाओं के लिए यह मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस आधारित) 2019 में शुरू किया गया था।

वीएचए की विशेषताएं -

- मतदाता केंद्रित सेवाएं - यहां उपयोगकर्ता फॉर्म 6, 6ए, 7, 8, 8ए और 001 जैसे सभी फॉर्मों को लागू कर सकता है।
- वोटर सेल्फी - वोट डालने के बाद मतदाता अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और दूसरों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- उम्मीदवार की जानकारी - यहां उपयोगकर्ता उम्मीदवारों के नामांकन की स्थिति देख सकता है कि क्या स्वीकार / अस्वीकार / वापस ले लिया गया है। नामांकन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण और हलफनामा नागरिक के लिए उपलब्ध है।
- बूथ नेविगेटर - यह मतदाताओं के वर्तमान स्थान से मतदान केंद्र तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है।
- रीयल टाइम मतदान केंद्र कतार - मतदाता मतदान के दिन वास्तविक समय कतार की लंबाई देख सकता है, जबकि मतदान केंद्र बूथ ऐप का उपयोग करेगा।
- मतदान - इस ऐप के माध्यम से दो घंटे के मतदान की जांच की जा सकती है।
- परिणाम - उपयोगकर्ता मौजूदा चुनावों के साथ-साथ पिछले चुनावों के परिणाम और रुझान देख सकते हैं।

- शिकायत - वीएचए में सीविजिल और शिकायत विकल्प दोनों के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- मतदाता शिक्षा - मतदाता शिक्षा के तहत मतदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया, चुनाव (वर्तमान/अतीत/भविष्य), ईवीएम आदि की जानकारी भी दी जाती है।

बूथ ऐप-

यह ऐप चुनाव से पहले वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची में दर्शाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके मतदाता सूची में मतदाता की पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र में तेजी से पहचान, तेजी से मतदान, वास्तविक समय स्वचालित मतदान जानकारी और उन्नत कतार की जानकारी में मदद करता है। पीठासीन अधिकारी अब मतदान की घटनाओं और घटनाओं सहित अपनी वैधानिक डायरी को ऑनलाइन भरने में सक्षम हैं।

पीडब्ल्यूडी ऐप -

PwD ऐप विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ऐप कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

अध्याय - XVII

ईवीएम और वीवीपीएटी

ईवीएम (बैलट यूनिट + कंट्रोल यूनिट + वीवीपीएटी)

- ईवीएम में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल शामिल हैं
- मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाता है जिससे मतदाता बैलेट यूनिट का उपयोग करके अपना वोट डाल सकता है
- जब कोई मतदाता बैलेट यूनिट में अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने एक बटन दबाता है, तो बैलेट यूनिट में अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने लाल बत्ती चमकती है।
- मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल की पारदर्शी खिड़की के माध्यम से अपनी पसंद के उम्मीदवार के क्रम संख्या, नाम और प्रतीक को दर्शाने वाली एक पेपर पर्ची लगभग 7 सेकंड के लिए उत्पन्न होती है और दिखाई देती है

EVMS/VVPATS के उपयोग के लिए कानूनी प्रावधान -

दिसंबर, 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61A को शामिल किया गया, जो भारत के चुनाव आयोग को चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने का अधिकार देता है, जो इस प्रकार है -

"61ए. चुनाव में वोटिंग मशीन।-इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में किसी भी चीज के होते हुए भी, वोटिंग मशीनों द्वारा वोट देने और रिकॉर्ड करने के लिए निर्धारित तरीके से, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है, जैसा कि चुनाव आयोग कर सकता है, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें।"

VVPAT प्रणाली के उपयोग के संबंध में प्रावधान चुनाव नियम, 1961 के संचालन में 2013 में किए गए एक संशोधन द्वारा डाला गया था

नियम 49ए - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाइन - प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (जिसे इसके बाद वोटिंग मशीन कहा गया है) में एक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होगी और यह ऐसे डिजाइन का होगा जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है:

[बशर्ते कि चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित इस तरह के डिज़ाइन के ड्रॉप बॉक्स वाला एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में वोट के पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए एक वोटिंग मशीन से जोड़ा जा सकता है। आयोग निर्देश दे सकता है।]

सुरक्षित डिजाइन सुविधाएँ

ईवीएम को शत-प्रतिशत सुरक्षित बनाया गया है। ईसीआई ईवीएम स्टैंडअलोन मशीन हैं और इन्हें तार या वायरलेस तरीके से किसी अन्य डिवाइस से नहीं जोड़ा जा सकता है। एक सीयू को केवल एक बीयू से जोड़ा जा सकता है। ईवीएम में कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन क्षमता नहीं है, वाईफाई, ब्लूटूथ, आदि के माध्यम से वायरलेस कनेक्शन को खारिज करना। माइक्रोकंट्रोलर चिप जिस पर सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है, एक बार प्रोग्राम करने योग्य है, फिर से प्रोग्रामिंग की किसी भी संभावना को खारिज कर रहा है। बीयू से सीयू तक संकेतों का संचरण गतिशील रूप से एन्क्रिप्ट किया गया है। इसका मतलब है कि हर बार बीयू में एक ही बटन दबाया जाता है, सिग्नल को एक अलग एन्क्रिप्शन फॉर्मूला के साथ प्रेषित किया जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर कोड के रिवर्स इंजीनियरिंग की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया जाता है। प्रेस की गई प्रत्येक कुंजी की तिथि और समय की मोहर लगाने की एक और विशेषता भी है। यह दबाए गए चाबियों का पूरा ऑडिट देने में मदद करता है।

ईवीएम मॉडल का विकास

जबकि एम1 मॉडल से ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं, आयोग ने पुरानी तकनीक के अप्रचलन के कारण एम2 और एम3 मॉडल पेश किए हैं। सभी 3 मॉडल स्टैंडअलोन मशीन हैं और एक बार प्रोग्राम करने योग्य माइक्रोकंट्रोलर के साथ हैं।

प्रशासनिक सुरक्षा

- **हितधारक भागीदारी**

  पहला और सबसे महत्वपूर्ण बचाव ईवीएम के आसपास के पूरे इको-सिस्टम में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी है, जिसमें गोदामों और स्ट्रांगरूम को खोलने और सील करने, प्रथम स्तर की जांच और उम्मीदवार सेटिंग देखने, 2 चरण यादृच्छिकरण का निरीक्षण करने, मॉक आयोजित करने तक शामिल हैं। चुनाव और विभिन्न कागज की मुहरों पर हस्ताक्षर।

- **आवंटन और आंदोलन**

  चुनाव से लगभग 6 महीने पहले आयोग चुनाव वाले राज्य को या तो बीईएल/ईसीआईएल या अन्य राज्यों से ईवीएम आवंटित करता है। ईवीएम तब 24/7 पुलिस सुरक्षा के तहत चलती हैं और डीईओ द्वारा प्राप्त की जाती हैं जो अपने जिलों में सुरक्षित भंडारण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। संपूर्ण इन्वेंट्री प्रबंधन ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है।

- **प्रथम स्तर की जाँच (FLC)**

  प्रत्येक ईवीएम की राजनीतिक दलों की मौजूदगी में पूरी तरह से सेनिटाइज्ड हॉल में प्रथम स्तर की जांच की जाती है।

- **रैंडमाइजेशन**

  ईवीएम को दो चरणों में रेंडमाइजेशन से गुजरना पड़ता है, ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, पहले जिले से एसी को आवंटित किया जाता है, और फिर एसी से मतदान केंद्रों को आवंटित किया जाता है। आवंटित ईवीएम की सूची राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के साथ साझा की जाती है।

- **मतदान दिवस मॉक पोल**

  मतदान के दिन मतदान एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 मतों के साथ मॉक पोल कराया जाता है। नकली मतदान डेटा मिटा दिया जाता है और एजेंटों को दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ मॉक पोल प्रमाणपत्र जारी करता है।

- **मतदान बंद और परिवहन**

  मतदान के बाद CU पर CLOSE बटन दबाकर EVM पर कोई और मतदान अक्षम कर दिया जाता है। इसके बाद ईवीएम को सील कर सशस्त्र एस्कॉर्ट के तहत स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। उम्मीदवारों के एजेंटों को भी ईवीएम ले जाने वाले वाहनों का अनुसरण करने की अनुमति है। साथ ही प्रत्याशियों या उनके एजेंटों के लिए मतगणना के दिन तक चौबीसों घंटे स्ट्रांग रूम देखने की व्यवस्था की गई है।

बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए जाँच सूची

1. बीएलओ के रूप में नियुक्ति पर

i. बीएलओ किट और अपना आईडी कार्ड लें

ii. प्रशिक्षण सत्र में भाग लें

iii. ईसीआई और सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी पीपीटी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान से देखें

iv. बीएलओ हैंडबुक और संदर्भ पुस्तक को ध्यान से पढ़ें

v. मतदाता सूची से परिचित हों

vi. रोल, नज़र-नक्शा और मुख्य मानचित्र योजना के हेडर पेज को समझें

vii. मदर रोल और सप्लीमेंट्स

viii. फॉर्म-6, 6ए, 7, 8, 8ए, 9, 10, 11, 11ए, 001 आदि जैसे विभिन्न रूपों को समझें।

ix. बीएलओ रजिस्टर और उसके अनुलग्नकों को समझें

x. प्रशासनिक मशीनरी और उनकी भूमिकाओं को समझें, अर्थात। बीएलओ पर्यवेक्षक, एयरो, ईआरओ, डीईओ। सीईओ और ईसीआई।

xi. अपने निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से, वर्गों और इलाकों/घरों से परिचित हों।

xii. संशोधन के प्रकार जानें

xiii. गरुड़, वेब रेडियो और वीएचए मोबाइल ऐप से परिचित हों

xiv. सभी प्रकार के फॉर्म पर्याप्त संख्या में रखें

xv. अपने पर्यवेक्षक को जानें और नियमित रूप से उसके संपर्क में रहें।

2. पूर्व-संशोधन गतिविधियां

i. एच-2-एच (घर से घर) सर्वेक्षण

ii. स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्र करें

iii. इन-माइग्रेशन और आउट-माइग्रेशन के बारे में जानकारी एकत्र करें

iv. नए निवासियों/कालोनियों/झुग्गियों के बारे में जानकारी एकत्र करें

v. नई औद्योगिक इकाइयों के बारे में जानकारी एकत्र करें

vi. औद्योगिक इकाइयों में या जमींदारों के साथ काम करने वाले मजदूरों के बारे में जानकारी एकत्र करें

vii. छात्रावासों/महाविद्यालयों/कोचिंग कक्षाओं के बारे में जानकारी एकत्र करें

viii. गणमान्य व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर मतदाताओं, पीडब्ल्यूडी और 80+ मतदाताओं को पहचानें और सत्यापित करें

ix. संभावित मतदाताओं की पहचान करें और पहले से फॉर्म जमा करें।

x. संभावित विदेशी मतदाताओं के बारे में पूछताछ

xi. जाँच करें कि क्या कोई मतदाता सामान्य और सेवा निर्वाचक दोनों के रूप में पंजीकृत है

3. संशोधन गतिविधियां

i. सही और स्पष्ट तस्वीरों के लिए रोल की जांच करें

ii. टाइपिंग त्रुटियों, डुप्लिकेट प्रविष्टियों के लिए रोल की जांच करें

iii. नए समावेशन के लिए फील्ड रिपोर्ट

iv. डीएसई और अन्य तार्किक त्रुटियों को हटाना

v. आयु समूह, लिंग अनुपात और ईपी अनुपात जैसे स्वास्थ्य मानकों के लिए रोल का विश्लेषण करें और तदनुसार सुधारात्मक उपाय करें।

vi. 80+ और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का सत्यापन

vii. मृत मतदाताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु के कार्यालय का नियमित दौरा

4. विशेष अभियान दिवस

i. मतदाता सूची एवं रिक्त प्रपत्रों के साथ मतदान केन्द्र पर उपस्थित

ii. बीएलए के साथ समन्वय करें

iii. नए समावेश, विलोपन और संशोधन के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म जमा करें

5. ग्राम/वार्ड सभा

i. ग्राम/वार्ड सभा आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहें

ii. ग्राम/वार्ड सभा में रोल को जोर से पढ़ें

iii. स्थानांतरित एवं मृत निर्वाचकों के बारे में जानकारी लें और सूची में उनकी पहचान करें

iv. मृत्यु रजिस्टर में दर्ज ऐसे लोगों के लिए फॉर्म 7/मृत्यु प्रमाण पत्र लें

6. सतत अद्यतन

i. बार-बार अपने मतदान क्षेत्र का दौरा करें और मतदाताओं के पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हों।

ii. स्थानीय संपर्क विकसित करें और उनके संपर्क में रहें

iii. जब भी आवश्यक हो, नए समावेश, विलोपन और संशोधन के लिए नए फॉर्म, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन लें

iv. 80+ और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का सत्यापन

v. मृत मतदाताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु के कार्यालय का नियमित दौरा

7. बीएलए

i. बीएलए के साथ समन्वय करें

ii. नए पात्र मतदाताओं की पहचान करने में सहायता प्राप्त करें

iii. स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें

iv. रोल में किसी भी त्रुटि के बारे में जानकारी प्राप्त करें

8. स्वीप

i. मतदान केन्द्र पर चुनाव पाठशाला की नियमित संचालन बैठक।

ii. कम मतदान वाले मतदान केंद्रों की पहचान और मतदाता सूची में नामांकन।

iii. मतदान केन्द्रों पर समस्त जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन

iv. मतदान केंद्र स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आईईसी सामग्री, मतदाता मार्गदर्शिका, वीएचए का प्रसार।

v. ईवीएम-वीवीपीएटी कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता फैलाना।

vi. मतदान के समय मतदान केन्द्र स्तर पर मतदाता सूचना केन्द्र की स्थापना।

9. एनवीडी

i. मतदान केंद्र पर कार्यक्रम की योजना बनाएं

ii. EPIC और बैज वितरित करें

iii. प्रतिज्ञा का प्रशासन करें

iv. नए पात्र मतदाताओं की पहचान करें और नामांकन करें

v. ई-ईपीआईसी डाउनलोड करना

10. चुनाव अवधि

i. मतदान केंद्र पर सभी एएमएफ सुविधा सुनिश्चित करें

ii. संवेदनशील इलाकों/क्षेत्रों की पहचान करने में सेक्टर अधिकारियों की मदद करना।

iii. एएसडी सूचियां तैयार करें

iv. मतदान के दिन मतदान केंद्र पर मौजूद

v. मतदाता सूचना पर्ची का वितरण

vi. मतदाताओं तक सभी सुविधाएं पहुंचाएं

vii. मतदान दलों को सुगम बनाना

viii. 80+ और PwD मतदाताओं का सत्यापन, उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी गई पोस्टल बैलेट सुविधाओं के बारे में जागरूक करना, फॉर्म 12D का वितरण, अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के लिए नियुक्त मतदान दलों की मदद करना और विकल्प चुनने वाले मतदाताओं की सूची को साझा करना राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए के साथ पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए।

11. युक्तिकरण

i. यदि मतदाता निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो मतदान केन्द्र के लिए नए स्थान की पहचान करें

ii. मतदाताओं को नए मतदान केंद्र में स्थानांतरित करने की योजना बनाएं

iii. नया नज़री-नक्शा तैयार करें

iv. गरुड़ एप एप्लीकेशन में मतदान केंद्र के अक्षांश और देशांतर का सटीक माप।

v. मतदान केंद्र के मतदान क्षेत्र में उचित संकेत सुनिश्चित करना।

vi. मतदान केंद्र के मतदान क्षेत्र में उचित संकेत सुनिश्चित करना।

vii. बेहतर एएमएफ सुविधा के साथ संभावित नए भवन की पहचान।

12. मतदान केंद्र

i. क्या मतदान केंद्र मतदान क्षेत्र में स्थित है

ii. क्या इमारत जर्जर/खतरनाक है

iii. क्या मतदान केन्द्र निजी भवन/पुलिस थाना/अस्पताल/धर्मशाला/धार्मिक स्थल पर स्थित है

iv. क्या मतदाता को 2 किमी से अधिक की दूरी तय करनी है या नदी/नहर/खड्ड आदि को पार करना है।

v. क्या पीएस पहली मंजिल पर है या उससे ऊपर

vi. क्या कमरा 20 वर्ग मीटर है। और 2 दरवाजे हैं

vii. क्या कोई राजनीतिक दल कार्यालय PS . से 200 मीटर के भीतर स्थित है।

viii. क्या भवन में बिजली, शौचालय, पेयजल, टेलीफोन और रैंप की न्यूनतम सुविधा है?

शैक्षिक समाचार राजस्थान
Shaikshik Samachar Rajasthan

हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

S.N	GROUP NAME	JOIN GROUP
1	TWITTER	CLICK HERE
2	FACEBOOK	CLICK HERE
3	WEBSITE (RAJGYAN)	CLICK HERE
4	TELEGRAME	CLICK HERE
5	TELEGRAME SAMADHAN	CLICK HERE

शैक्षिक समाचार राजस्थान